हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 अगस्त, 1974

खंड 3, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

भानिवार, 17 अगस्त, 1974

	पृश्ठ संख्या
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2)1
दी पंजाब विलेज कौमन लैंड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1974	(2)1

हरियाणा विधान सभा

भानिवार, 17 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

विधान–कार्य

दी हरियाणा विलेज कौमन लैंड्ज (रैगले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1974

Transport Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जींद): अध्यक्ष महोदय सरकार ने पंचायत ग्राम भाामलात भूमि अधिनियम सं ाोधन बिल सदन में पे ा किया है। यह बिल बहुत ही अहमियत रखता है, इसमें कोई भाक नहीं है। इससे पहले मैं मुछ कहूं, मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा, अगर सरकार उसको मंजूर कर ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये क्योंकि इसके अन्दर काफी खामियां हैं। दूसरे यह बिल पिछले दो सालों से लागू होगा। इसमें जो खमियां हैं उन पर मैं हाउस के सामने विचार रखना चाहता हूं। स्पीकर साहब इस बिल के जरिए सरकार सैक ान सात की जगह एक नयी सैक ान जोड़ रही है ओर इसके

साथ–साथ सैक ान दस में भी तरमीम कर रही है ओर सैक ान 13 के बाद सैक ान 13 ए और 13 बी नयी सैक ान जोड़ रही है। जहां तक मैं समझता हूं सैक ान सता की सब–सैक ान 3 के अन्दर लिखा है:–

"7(3) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction passed under sub-section (1) within ten days of the date of such order, the Assistant Collector of the first grade may use such force, including police force, as may be necessary, for putting the Panchayat in possession.

यहां तक तो यह ठीक है लेकिन इसके अन्दर टाईम कोई नहीं है। अगर वह चाहे तो पुलिस कोर्स इस्तेमाल कर ले, चाहे न करे। मैं यह समझता हूं कि एग्जैक्टिव अफसर तो उधर ही हैं अर्थात् सरकार की ओर ही हैं ओर जुडि ायरी पर सरकार का फेथ ही नहीं है। एग्जैक्टिव अफसर को मिनिस्टर साहब कान में फूंक मार देगा कि ऐसा नहीं करना है वह नहीं करेगा। एग्जैक्टिव अफसर को तो फुरसत भी नहीं है क्योंकि वे तो नसबन्दी और कुलैक ान में लगे हैं। इसलिए मेरी गुजारि ा है कि टाईम लिमिट होनी जरूर हो। अगर सरकार ईमानदारी से इनफोरस करना चाहती है तो टाईम टाईम लिमिट होनी चाहिए कि इतने अर्से के अन्दर कब्जा दिला देंगे वरना यह वेग सी ही बात होगी। एग्जैक्टिव अफसर की मर्जी होगी चाहे दो साल या चार साल कब्जा न दिलाये। जिसको चाहे दिला दे, जिसको न चाहे न दिलाये। इसलिये मेरी गुजारि ा है कि अब जो तरमीम कर रहे हैं

इसका रूल्ज बनाते वक्त ध्यान रखा जाये। जो कमी है उसको पूरा किया जाये।

इसके आगे पेज 2 पर सैक ान 13 है जो पुरानी क्लाज की जगह नयी ऐड कर रहे है। 'बार आफ जुरिसडिक ान' इसमें लिखा है:—

"13, Bar of jurisdiction – No civil court shall have jurisdiction:-

a) to entertain or adjudicate upon any question as to whether any land or other immovable property or any right or interest in such land or other immovable property vests or does not vest in the Panchayat under this Act; or

b) in respect of any other matter which any officer is empowered by or under this Act to determine; or

c) to question the legality of any action taken or any matte decided by any authority empowered to do so under this Act."

बड़ी हैरानी की बात है कि जब आप इन्साफ करने जा रहे है फिर कौन सी वजह है कि आप अदालत से डरते हैं। आपको अदालत से नहीं डरना चाहिए। आप हर काम में सिविल कोर्टस को महरूम करना चाहते हैं ताकि वह अपने फंक ान में कुछ डिले करें। सरकार पर कौन यकीन करेगा ? सब सरकार को भाक की निगाह से देखगें कि इस सरकार का जुडीि ायरी पर

कोई फेथ नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि यह गलत बात है। अगर भाामलात जमीन है और ऐक्ट के अन्दर वह आती है तो लाजमी तौर पर विविल कोर्ट दखलअन्दाजी करेगी क्योंकि वह फैसला जो हुआ है वह भाामलात लैन्ड पर हुआ है। अगर सरकार इसमें गलती करती है तो इसका साफ मतलब यह है कि वह भाामलात लैन्ड अपने दोस्तों के हक में करना चाहती है जहां वह चाहेगी वहां पर यह करवा लेगी ओर जहां पर यह हो कि इनका आदमी नहीं है तो उसको फंसा देगी हालांकि यह सब के ऊपर यकसां लीागू होना चाहिए। जो भी कोइ भाामलात लैन्ड पर जबरदस्ती कब्जा करता है या कब्जा किया है या किसी ने गलत तौर पर कोलेसिब डिक्री हासिल की हो तो वह लाजमी तौर पर बेदखल होना चाहिए और भाामलात लैन्ड को बचाना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जुडि ायरी को मार के वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यह बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें जुडि ायरी दखल न दे। इससे यह भाक जाहिर होता है कि सरकार का मन ाा दो तरफा है। यह भी डिलीट होना चाहिए। यह सैक ान ठीक नहीं है।

सैक ान 13(ए) में लिखा है किः—

"Certain decrees to be set aside and fresh trail of cases ...."

इसके पेज तीन पर छठी लाइन में 'में' लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि उसकी मर्जी पर है। दो

साल के अर्से के अन्दर पंचायत कोई बात महसूस करे कि गलत कोलेसिव डिक्री हासिल की गई है। तो दो साल के अन्दर ब्लाक डिवैल्पमैंट अफसर, पंचायत अफसर या कोई और आदमी मूव कर सकता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि 'मे' लफ्ज नहीं होना चाएि। जब ऐक्ट का मुद्दा ही भाामलात लैन्ड को बचाना है तो 'मे' लफ्ज की जगह पर 'सैल' होना चाहिए यानी "He shall within two years" डेफिनिट बात होनी चाहिए वरना यह तो वही बात है कि अगर कोलेसिव डिक्री सिकी ऐसे आदमी की है जिसको सरकार चाहती है तो वह जमीन रखे और जरा जिसके खिलाफ हो तो उससे जमीन ले ले। दो तरफाा बता नहीं होनी चाहिए। यह पाबन्दी होनी चाहिए जिस किसी ने भाामलात जमीन पर कोलेसिव डिक्री हासिल की है चाहे गलत तरीके से की है या कैसे ही की है, उसके ऊपर लाजमी तौर पर लागू होना चाहिए। इस तरह कोई बचना नहीं चाहिए। देा साल के टाईम की लाजमी तौर पर किसी अफसर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दो साल के अन्दर अन्दर अदालत के अन्दर दावा पे ा करे।

ये मोटी'मोटी बातें मैंने हाउस में रखी है। अगर जुडि ायरी की बात को बीच में रखा है और इस बार को नहीं हटाते हैं तो मैं गुजारि ा करूंगा कि रूल्ज बनाते बक्त इन खामियों को पूरा किया जाये। जहां तक सैक ान 13 की बार 'जुरिसडिक ान' है, उसकी मैं मुखालफत करता हूं।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा एस.सी.): स्पीकर साहब, आज जो हाउस में दी पंजाब विलेज कामन लैन्डज (रेगुले ान) हरियाणा अमैंडमेंट बिल, 1974 पे ा है, इसके स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट एन्ड रिजन्ज में यह लिखा हुआ है:–

"Certain person obtained collusive decree from Civil Courts in respect of shamilat lands wherein the Panchayats interest was not properly represented. Due to this, size able area of shamilat land stands transferred to such person resulting in heavy loss of income to the Panchayats. It has been decided to make provision for getting such decrees set aside and to bar civil courts jurisdiction in such matter. Provision has also been made for giving deterrent punishment to persons in wrongful or unauthorized possession of shamilat lands."

स्पीकर साहब, यह बिल इतना अहम है, इतना बेहतरीन है जो कि बहुत पहले आना चाहिए था हरियाणा में पचास परसैन्ट लिटिगे ान इसी पंचायती जमीन के बिना पर होती हैं। जहां पंचायत को लोस है वहां पर गरीब तबके को बिल्कुल बरतरफ कर दिया गया है। इनके लिए कोढ जगह ऐसी नहीं है जहां पर वे अपने प ाु खड़े कर सकें, अपनी भेड़–बकरियां चरा सकें या अपने प ाु चरा सकें। सन् 1961 में अमैंडमैंट आयी थी कि जो कामन यूज की जमीन है या पाना भाामलात की जमीन है या ठोले की जमीन है वह पंचायत में वैस्ट कर जायेगी। उस अमैडमैंट के तहत कितने ही जमीनों के म्यूटे ान हो गये, वे जमीनें पंचायत में वैस्ट

हो गई। अब दो–तीन साल में तो इतनी तेज रफतार से गाड़ी चली कि कोलेसिव दावे बहुत होने लग गये। दो चार कुनबों के आदमी दीवानी अदालत में इकट्ठे होकर गया और जो म्युटे ान्ज पंचायत के हक में हो गयी थीं, उनको चैलेन्ज कर दिया जिससे कोलेसिव डिग्रियां हो गयीं। पंचायत ने उसमें कोई इन्ट्रैस्ट नहीं लिया जिसकी वजह से लिटीगे ान भी बढ़ी और गरीब आदमी की मु कलात भी बढ़ी। अब यह जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल की यह मन् ाा है कि इन सारी तकलीफाात को दूर किया जाये। इस बिल में जो सिविल कोर्टस की जुरिसडिक ान से वार किया गया है।, उसमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनरीजनेबल हो, जिससे गरीब आदमी पर इफैक्ट पड़ता हो या उसका नुक्सान होता हो। मेरे ख्याल में यह फयादे की बात जरूर है। अगर इस बिल की सिपरिट को ऐक्सप्रैसली इम्पलीमैंट किया जाये तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जो दावे दीवानी अदालतों में या असिस्टैंट कुलैक्टर फर्स्ट–ग्रेड, की अदालत में चल रहे हैं उनमें से 50 प्रति ज्ञत ि एकदम समाप्त हो जायेंगे और दूसरा फायदा यह होगा कि आगे के लिये हमारी इम्पलीके ान्ज नहीं बढ़ेगी। जो ऐनक्रोचमैंट का सिलसिला है, उससे गरीब आदमी को नुक्सान होता है। जो पंचायत पावर में हैं, अगर वह ऐनक्रोचमैंट को आन आन दी बेसिज आफ ऐनक्रोचमैंट दूर कराये तब तो इन्साफ की बात है, अगर ऐनक्रोचमैंट को पार्टी–बेसजि पर दूर कराया जाये तो उससे लिटीगे ान और बढ़ती है। अब इस बिल के द्वारा जो सैक ान 7 और सैक ान 13 में ऐड किया गया

है, मैं उसके बारे मे ंभी थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इस बिल के अन्दर एक धारा यह दी गयी है:—

"13A. Certain decrees to be set aside and fresh trial of cases. (1) Where a decree has been obtained from a civil court by any person against any Panchayat in respect of any land or other immovable property on the grounds of its being excluded from shamilat deh under clause (g) of Section 2 or on any of the grounds mentioned in sub-section (3) of the section 4, and the copies of the relevant entries of the revenue records had not been produced in support of the averments made in the plaint, the concerned Block Development and Panchayat officer, Social Education and Panchayat officer or any other officer authorised by the State Government or any inhabitant of the village wherein the land or other immovable property is situate, may within a period of two years from the date of coming into force of the Punjab Village Common Land (Regulation) Haryana Amendment Act, 1974, made an application for setting aside the decree to the Assistant Collector of the first grade having jurisdiction in the village wherein the land or other immovable property is situate."

इसमें 'मे' का जो वर्ड दिया गया है, इससे फिर वेगनैस आ जाती है। अगर यहां पर ' ौल' का वर्ड हो तो उससे स्पैसिफिक फोर्स पड़ती है कि कोई भी आदमी चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों ने हो, चाहे कितना ही पावरफूल क्यों न हो या पावर में हो, अगर वह ऐनक्रोचमैंट कर लेता है तो लाजमी तौर पर उसको वकेट करना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि जहां पर 'मे'

का वर्ड आ जाता है वहां पर कई बातें छूट जाती हैं। इसलिये मेरी यह गुजारि ा है कि इसको स्पैसिफिक बनाने के लिये 'मे' की बजाये ' ौल' वर्ड इन्ट्रोड्यूस किया जाये। जैस हमारा यह फोर्सफुल बिल हे, और जो हालात को ठीक करने के लिये है वैसी ही फोर्स ' ौल' लगाने से होगी। मैं तो यह समझता हूं कि समाजवाद ओर गरीबी हटाने के दौर में यह एक पहली चीज ऐसी आयी है जो ऐक्सक्लुसीवली इम्पलीमैंट हो जाये तो बहुत अच्छा कदम है। ..... (चौधरी पीर चन्द जी की और से व्यवधान) ..... पीर चन्द जी, आप तो भाहर में रहते हैं, आप लैंडलार्ड भी हैं। आपको पता नहीं है कि देहातों में कितनी कम्पलीके ान्ज बढ़ रही हैं। जो देहात में आदमी रहते हैं उनको पता है कि इस वजह से कितनी तकलीफ है, आपको इसका पता नहीं है कि किस तरह से उनके सामने तकलीफें आ रही हैं। .... (व्यवधान) ... आप तो हरिजन हैं मगर लैंडलार्ड हरिजन हैं। स्पीकर साहब, सुबह वर्मा साहब, जब मेरे साथ आ रहे थे तो मेंने उनसे यह कहा कि आप इसकी मुखालिफत करेंगे तो जो हरिजनों के 2–4–5 परसैंट वोट आपको आते हैं, वे भी नहीं आयेंगे क्योंकि इससे वे आपके खिलाफ हो जायेंगे। ... (व्यवधान) .....

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल): आज यह तो बता दो कि पीर चन्द जी हरिजन हैं कि नहीं ?

श्री अमर सिंहः हरिजन तो हैं लेकिन लैंडलार्ड हैं। स्पीकर साहब, इस बिल में जो दी तीन चींजे लाइ गयी हैं उनके

बारे में मेरा प्वायंट आफ व्यू यह है कि इसमें एक तो ऐनक्रोचमैंट करने वाले पर पैनल्टी ज्यादा डाल दी गयी है। पहले तो यह पैनल्टी 2500 रूपये पर हैक्टेयर तक है और उसकी पेमैन्ट भी अव य करनी पड़ती। यह जो असिस्टैन्ट कलैक्टर को पावर दी गयी है कि वह अढ़ाई हजार तक पैनल्टी डाल सकता है, मैं यह समझता हूं कि ऐनक्रोचमैंट को रोकने के लिये और लिटीगे ान को बन्द करने की दि ाा में यह एक बेहतरीन कदम है। लेकिन देखने की बात यह है कि हम जो कूछ यहां पास कर देते हैं उसकी ठीक तरह से इम्पलीमैंटे ान होती भी है या नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से अब यह बिल पास कर दिया जाता है कि दो साल के दौरान तक कुलैसिव डिग्रियां तोड़ने के लिये ऐक ान लिया जा सकता है, सरकार इसक किस हद तक इम्पलीमैंट करती है। मैं यह कहता हूं कि अगर ऐक्सक्लुसिवली इस बिली का पास करने के बाद इम्पलीमैंट किया जाये तो कम से कम 50 हजार एकड़ जमीन तो गुहला ब्लाक मे निकलेगी जो लोगों ने नाजायज तौर पर दबा रखी है, जिसकी जुरिसडिक ान पंचायत की बनती है लेकिन वह इंडीविजुअल्ज के कब्जे मे है। इसके अलावा कितनी ही ऐसी जमीन है जो लोग दबाये बैठे हैं। एक दफाा अगर कोई आदमी पंचायत की जमीन पर बैठ गया तो वह बैठा ही रहता है। न तो पंचायत उससे छुड़वाती है और न ही वह आदमी छोड़ता है। वह कहता है कि जो करना है कर लो। अगर इस बिल को फोर्सफुली और ऐक्सक्लुसीवली इम्पलीमैंट किया

गया तो ऐसे आदमियों को लाजमी तौर पर वह जमीनें छोड़नी पड़ेंगी। इस बिल में इसके अलावा एक प्रोविजन यह भी है:—

"No civil court shall have any jurisdiction over any matter arising out of the operation of this Act."

ऐसा ही प्रोवीजन तो ओल्ड ऐक्ट में भी था लेकिन इन्होंने इस बिल में स्पैसिफिक्ली इसे जिस तरह से यिका है अगर इसको इम्पलीमैंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 'बार आफ जुरिडिक ान' के तहत अब यह ऐसे अमैंड कर रहे हैं:—

"13. Bar of jurisdication – No civil court shall have jurisdiction:-

a) to entertain or adjudicate upon any question as to whether any land or other immovable property or any right or interest in such land or other immovable property vests or does not vest in the Panchayat under this Act; or

b) in respect of any other matter which any officer is empowered by or under this Act to determine; or

c) to question the legality of any action taken or any matte decided by any authority empowered to do so under this Act."

अब इसमें यह स्पैसिफिक हो गया हे कि इस मामले में सिविल कोर्ट की कोई जुरिसडिक ान नहीं होगी। मैं यह समझता हूं कि कोलेसिव दावों को रोकने के लिये यह एक सबसे बेहतरीन

कदम होगा। मैं अधिक समय न लेते हुए इस बिल की तहेदिल से हिमायत करता हूं और यह समझता हूं कि जिस स्पिरिट से यह बिल यहां हाउस में लाया गया है, उसी स्पिरिट से इसको इम्पलीमैंट भी किया जायेगा ताकि जो इम्पलीके ान्ज पहले आती रही हैं, वह बन्द हो जायें और पंचायत की जो जमीन लोगों ने दबाव रखी हैं, वह निकले, पंचायत की इन्कम में जो नुक्सान होता रहा हे, वह न हो और गरीब आदमी को जो सैट–बैक लगता रहा है, वह न लगे। मैं आ ाा करता हूं कि इस बिल का ठीक भावना से इम्पलीमैंट किया जायेगा, यही कह कर मैं इस बिल की ताईद करता हूं। धन्यवाद।

चौधरी ि ावराम वर्मा (नीलोखेड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भाामलात भूमि के बारे में बिल यहां आया है और डिस्कस हो रहा है, अगर इसकी भावना देखी जाये तो पता लगेगा कि इसकी भावना तो अच्छी हैं परन्तु इसके नीचे कई बातें ऐसी है जिनसे मैं यह समझता हूं कि भाायद झगड़े कम होने की बजाये और भी बढ़ सकते हैं।

इस बिल में एक बात तो यह है कि अस्सिटैंट कुलैक्टर को इतनी पावर्ज दी गयी हैं कि भाायद ही वह इस तरफ पूरा ध्यान दे सकेगा। इसके साथ–साथ देखन वाली बात यह भी है कि उसको बड़ी आसानी से प्रभावति भी किया जा सकता है और इसमें राजनीति का बहुत ज्यादा दखल हो सकता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि अस्सिटैंट कुलैक्टर की बजाये अगर कुलैक्टर हो

तो ज्यादा अच्छी बात होगी। एक बात तो यह है कि कुलैक्टर के पास इतना ज्यादा काम भी नहीं होता जबकि असिस्टैंट कुलैक्टर के पास पहले ही बहुत ज्यादा काम दिया गया है और दूसरे कुलैक्टर को इतनी आसानी से प्रभावित भी नहीं किया जा सकता। इसलिये मेरी एक बात तो यह है कि अस्सिटैंट की बजाये ये पावर्ज कुलैक्टर को होनी चाहियें। दूसरी बात मैं पंचायत की जो भाामलात जमीन है उसके बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया है – 'डीम्ड टू बी पंचायत लैंड' यानी पंचायत की जमीन ख्याल की जाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो कोई भी जमीन ख्याल की जा सकती है कि यह पंचायत की है। मेरा कहना है कि साफ बात होनी चाहिए, सरल अर्थों में बात कही जानी चाहिए। अगर हम घुमा फिरा कर बात करेंगे तो लोग इसका दूसरा ही अर्थ निकालते हैं और इस तरह से झगड़े बढ़ेंगे। इसके साथ ही कब्जा छोड़ने के लिए पैनल्टी की बात कही गई है। यह पैनेल्टी 600 रूपए से 2500 रूपए प्रति हैक्टेयर प्रति वर्श रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा है। एक हजार रूपए एकड़ की पैनल्टी बहुत ज्यादा है जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): नाजायज कब्जा करने की कोइ तो सजा होनी चाहिए।

चौधरी ि ावराम वर्मा: यानी कम से कम 600 रूपए और ज्यादा स ज्यादा 2500 रूपए प्रति हैक्टेयर। लेकिन इसमें राजनीति के दखल से बहुत मु ि कल होगी .....

चौधरी बंसी लालः अगर आपने दबा रखी है तो एक पैसा भी नहीं लेंगे।

चौधरी ि ावराम वर्माः मुख्य मंत्री महोदय, हमारी तो अपनी ही सम्भली रहे तो ही बहुत है। (व्यवधान) इसलिये यह जो 600 से 2500 रूपए का फर्क है यह बहुत ज्यादा है इसको ठीक किया जाना चाहिए। इसको घटाया जाना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपनी जमीन समझकर कब्जा कर लेते हैं। अगर उन पर इतनी पैनल्टी की जाएगी तो लोग उजड़ जाएंगे। इसके अन्दर यह भी कहा गया है कि वह पैनल्टी 30 दिन के अन्दर अदा करनी पड़ेगी यानी आर्डर के बाद 30 दिन के अन्दर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि इसकी मियाद ज्यादा होनी चाहिए या तो अगल फसल तक हो, जो समय सुविधाजनक हो वह दिया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि वह उजड़ जाए।

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): फिर आप कहेंगे कि पुलिटिकल वालों को ज्यादा टाईम दे दिया।

चौधरी ि ावराम वर्माः एक महीना थोड़ा है। इसी तरह से पुराने ऐक्ट की क्लाज 7 के बजाए जो क्लाज 2 इसमें ला रहे हैं इसकी सब–क्लाज 3 मे लिखा है कि आर्डर होने के 10 दिन के अन्दर बेदखल होना पड़ेगा लेकिन दूसरी तरफ लिखा है कि वह आदमी 30 दिन के अन्दर अपील कर सकेगा। मरेा कहना यह हे

कि कम से कम 30 दिन का तो कब्जा छोड़ने का अवसर मिलना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि पहले तो उसको उजाड़ दिया जाए और अगर वह अपील में जीत जाए तो फिर वह दोबारा कब्जा लेता फिरे। इससे तो झगड़ें और बढ़ेंगे। इसलिए कम से कम जब तक अपील करने की मियाद है तब तक तो उसका कब्जा रहना चाहिए .....

चौधरी बंसी लालः आप चौधरी अमर सिंह की ही बात मन लो।

चौधरी ि ावराम वर्माः चौधरी अमर सिंह जी ने जो बात कही वह तो आपके मतलब की कह दी कि हरिजनों को कुछ दिन और बहका लो, इतने में एक इलैक ान और हो जायेगा लेकिन चौधरी अमर सिंह जी को पता नहीं कि अगर अपोजी ान की सीट से इलैक ान लड़ना पड़ा तो वह क्या कहेंगे (व्यवधान) मैं तो यह कहता हूं कि कम से कम वह बात तो कहनी चाहिए जो अपने मन को लगती हो।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें सिविल कोर्ट के ऊपर पाबन्दी लगाने की बात कही गई हैं, वह पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि यह पहले ऐक्ट मैं भी हो लेकिन यह पाबन्दी होनी चाहिए। अगर किसी आदमी को राजनैतिक दखलअन्दाजी की वजह से सही न्याय नहीं मिला है या किसी और कारण से वह न्यान नहीं ले सका हे तो

कम से कम उसको सिविल कोर्ट में अपने लिए न्याय मांगने का अधिकार तो होना चाहिए। अगर हर किस्म की पाबन्दी न्यायालयों में जाने के ऊपर लगाते जाएंगे तो लोगों का वि वास इस जनतन्त्र से उठता चला जाएगा। अगर कोई आदमी कार्यपालिका, के व्यवहार की लीगलीटी को चैलेनज नहीं कर सकेगा तो बहुत ज्यादती होगी। अगर यह पाबन्दी लगा दी जाएगी तो लोगों को कैसे वि वास होगा कि हमारे साथ न्याय होगा। इसलिए न्यायालय के दरवाजे बन्द नहीं होने चाहिए, ये खुले रहने चाहिए। लोगों के मन में यह आ ांका हो जाएगी कि ऐग्जैक्टिव जो है उसको दलगत राजनीति मजबूर कर देती है ओर एग्जैक्टिव को उनके मुताबिक फैसला करने के लिए ही बाध्य होना पड़ता है। मेरा कहना तो यही है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको सिविल कोर्ट में जाने की पूरी छूट होनी चाहिए इससे लोगों का न्यायालयों पर जो वि वास बना हुआ है वह बना रहेगा, नहीं तो लोग समझेंगे कि यह सरकार जो अपने आप कर दे वही मानने पर बाध्य कर रही है और वही पक्की लकीर है और इस प्रकार से न्यायालयों में वि वास नहीं रहेगा और जनता के अन्दर बेचैनी बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्लाज 5 जो पुराने बिल की क्लाज 13ए की जगह लाई गई है, के बारे में कुछ कहना चाहता हू। इसमें सब–क्लाज 1 में लिखा है कि इस विधेयक के पारित होने से पहले की जो डिग्रियां हैं उनके विरूद्ध आगे दो साल तक

अपील की जा सकेगी। दो साल का अर्सा बहुत लम्बा है। इसका मतलब हुआ है कि आज से कई वर्श पूर्व भी किसी की जमीन मिली हो तो उसकी अब से दो साल आगे तक अपील की जा सकती है। यह बहुत लम्बी मियाद है। यह थोड़ा समय होना चाहिए। इसकी मियाद एक महीना, दो महीना ही ठीक है क्योंकि जितना समय ज्यादा होगा उतनी ही कम्पलीके ांज ज्यादा होंगी। इसी प्रकार इसमें सब–क्लाज 5 आई है। उसमें लिखा है कि पंचायत के साथ राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया जाएगा। इसमें ' ौल' लिखा है 'मे' नहीं लिखा है। मैं कहता हूं कि राज्य सरकार को क्यों पार्टी बनाया जाए जब कि भूमि की मालिक पंचायत है तो राज्य सरकार कैसे और क्यों पार्टी बनाई जाए। साफ बात है कि अगर राज्य सरकार उसमें पार्टी रहेगी तो जो अफसर फैसला करेगा उसके दिमाग के ऊपर बोझा रहेगा। क्योंकि एग्जैकटिव ब्रांच का कार्य कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का तो नहीं है। इसलिये उसके दिमाग के ऊपर बोझा रहेगा और सरकार भी नाराज हो सकती है, इसलिये सरकार की जो इच्छा दिखाई दे, जो उधर से इ ाारा चले, उसके मुताबिक वह चलने की कोि ा ा करेगा चाहे उसको अपनी जमीर भी दबानी पड़े। इसलिये राज्य सरकार को जो इसमें पार्टी बनाया जा रहा है, यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, इसलिये स्प्कर साहि, यह बात भी इस के अन्दर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोगों को न्याय मिलने वाली बात नहीं रहेगी। सो मैंने कुछ जो बातें कहीं है और मेरे भाई चौधरी अमर सिंह जी ने भी जो बातें कहीं हैं, सुझाव दिये हैं, इसके अन्दर

सुधार करने के बाद, जो जो कमियां इसमें रह गई हैं उनको ठीक करने के बाद यह बिल पे ा किया जाए और फिर इसको लागू किया जाए। किसी भी विधेयक को लागू करने की सब से बड़ी बात यह है कि ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिये, यह नहीं होना चाहिए कि किसी के लिये 24 इंच का गज हो और भाायद किसी के लिये 48 इंच का भी गज पूरा न हो तो इसलिये दो पैमाने नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिसके बारे में यह पता चले कि वाकई इसने गलती की है, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी दल का हो, सब के साथ एक सा सलूक होना चाहिये और पूरा न्याय मिलना चाहिए। तो यहां पर जो जो बातें मैंने कहीं है, मैं अपने मंत्री महोदय से कहूंगा और मुझे पूरी आ ाा है कि वे इसके अन्दर कुछ सुधार करेंगे और जो जो कमियां इसके अन्दर बताई गई हैं उन कमियों को दूर करने के बाद इनको लागू करने का प्रयत्न करेंगे तब तो यह लाभदायक हो सकता है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, मुझे जो मकसद इस बिल के अन्दर हैख उस पर पूरा इतफाक है लेकिन मुझे डर है कि यह बिल बड़ी भारी तकलीफ का मूजब होगा, उन जमींदारों के लिये जो पिछले 15–16 वर्श से लैन्ड रिफार्मर्ज के नाम से हरिजन बन गये हैं और अब हरिजन भाई खामखाह लड़ते हैं कि वे हरिजन हैं कि नहीं। हरिजन तो हम हैं। वह तो आज

की सोसायटी में हमारे पंडित हैं। (हंसी) मेरी अर्ज यह है कि इस कलुसिव डिग्री के नाम से यह 'मे' की बजाये – वैसे 'मे' और ' ौल' में तो कोई अन्तर तो होता नहीं लेकिन 'मे' के मायने ये हैं कि अगर न जाना चाहें तो न जाएं। मैं अर्ज करूं कि 'मे' जरूर रहे क्योंकि अगर तमाम कलुसिव डिग्री में गये तो गांव में बेहद तकलीफें होंगी जिन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टरज पर प्रैक्टिस की है या हाई कोर्टस में रिट्स की है, उनको मालूम है कि कलुसिव डिग्री की तादाद इन्डीविजुअलज एन्क्रोचमैंट वालों की कम है, ज्यादा दूसरे लोगों की है। विलेज लैन्ड ऐक्ट के अन्दर ग्राम पंचायत की डैफिनी ान जो दी गई है उसके मुताबिक विलेज कम्युनिटी के जो लैन्ड इस्तेमाल की हो, उसके इस्तेमाल में रही हो यानी गोरा देह वगैरह जो गांव की बिरादरी बरतती रही है, वह भी सारी वैस्ट कर गई। उसके साथ वैस्ट कर गई वह जमीन भी जो विलेज कम्युनिटी के पार्ट में इस्तेमाल की हो कामन पर्पज के लिये यानी कि ठोले की जमीनें थीं, पाने की जमीनें थीं, पट्टी की जमींनें थीं, उनमें इतने हार्ड ाप के भी केस थे कि दस घरों का मजमूआं भी विले कम्युनिटी का पार्ट हैं, उन लोगों ने अपना जौहड़ डंगरों को पानी पिलाने के लिये छोड़ दिया, कोई सात आठ बीघे का, या उन लोगों ने चरागाह के लिये अपनी थोड़ी सी जमीन छोड़ दी जोकि एक्सकलुसिवली प्रोपर्टी राइट थे। उस पैटी फैक ान की जिनको पाना या ठोला कहते हैं। मोसटली कलुसिव डिग्रियां हुई हैं और वहां हुई हैं जहां कि लैन्ड रैवेन्यु आफिसर भी, विलेज पंचायत भी ओर विलेज के गैर जिम्मेदार भी यह

समझते थे कि इन लोगों के साथ, जिन के दादे परदादे की यह जमीन थी जो इस डैफीनी ान की वजह से विलेज कम्युनिटी के पार्ट के इस्तेमाल में आने की वजह से विलेज कामन लैन्ड में वैस्ट कर गई है जो कि नहीं करनी चाहिये थी। उन्होंने बटवारा मुदद्त से कर रखा था, कई लोग उन पर का त भी करने लग गये थे, वह उनके प्राइवेट कब्जे में थी। तो यह 'मे' का लफ्ज ठीक है। जहां एन्क्रोचमैंट या बेईमानी से किसी इन्सान ने पंचायत की जमीन पर कब्जा कर लिया उसके खिलाफ कलुसिव डिक्री, सरपंच की बेईमानी से मिल गई। Then the authority may move in the matte. But it is not necessary that they must move against those persons.

क्योंकि उनकी तो वे अपनी दादे परदादे की जमीनें थीं, उनका अपना हिस्सा था उनके लिए उनके जिस्म कटे हैं। जमींदार को जमीन इतनी प्यारी होती है जितनी प्यारी गैर–जमींदार को है जो उसकी तरफ ललचाई निगाह से देखता हे कि कब पड़ी ऊपर से कब पड़ी ऊपर से। उन लोगों के हाथों से, महज ऐक्ट की गल्ती से दादे परदादों की प्राईवेट जमीन निकल के विलेज कम्युनिटी में हो गई थी और वे कलुसिव डिक्रीज जो हुई हैं, मैं रैवेन्यु मिनिस्टर साहब से, जो अच्छी तरह से समझते हैं, चौ. माडू सिंह जी जो अच्छी तरह से समझते हैं और उन भाईयों से जोकि डिक्रिट्रक्ट हैडक्वार्टज पर प्रैक्टिस करते रहे हैं और जिनको मालूम है, फिर कहना चाहता हूं कि इस विलेज कामन लैंड ऐक्ट से उन राइट ओनर्ज को कितनी तकलीफ हुई है। उन राईट ओनर्ज की,

जिनकी जमीन शामलात देह नहीं थी उनकी अपनी थी, कलुसिव डिक्रियां बिल्कुल चैलेंज नहीं करनी चाहिये वरना देहात में बड़ा अनरैस्ट होगा।

दूसरी बात मैं स्पीकर साहब जोकि इतनी इम्पाटैंट नही है लेकिन चौ. शिव राम जी मेरे लिये तो बहुत इम्पाटैंट हैं, बुजुर्ग भाई हैं, इनकी तसल्ली के लिए यह कहूंगा कि जहां तक सिविल कोर्ट की बार का ताल्लुक है, अब यह तो बेमायने रह गया है कि कांस्टीचुएशन बनने के बाद। 1935 के ऐक्ट के बाद जो भी स्पैशल बिल इस टाइप का राइट करटेल करने का बनता था, इसमें चौ. छोटू राम के वक्त में युनियनिस्ट सरकार के वक्त में बिल एक्ट बने, उन सब में भी यह प्रोवीजन रखा गया कि सिविल कोर्ट पर बार होगा। उस वक्त तो बार के यह मायने थे अब तो, 266–227 आर्टीकलज होने के बाद सीधा आदमी आ सकता है। In spite of this special provision in each Act, to the High Court. यह मीनिगलैस है। इस बार और है। इस बार के बावजूद भी अगर बिल और स्पैसीफिक ऐक्ट के जुरिसडिक्शन के बारह कोई अथौरिटी ऐक्ट कर ले फिर भी सिविल कोर्ट में जा सकते हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है। इसलिये इस सैक्शन से तो आप न डरें। लेकिन दूसरी बड़ी खतरनाक चीज होगी। अफसर एकदम विद रिवैन्ज चलेंगे। पट्टी की, ठोले की दस ग्यारह घरों की जो जमीनें विलेज कामन लैंड ऐक्ट में वैस्ट कर गई थीं टैक्नीकल बावजह से और जिन लोगों ने हजारों बीघों की तादाद में छुड़ा ली हैं, गांव की पंचायत ने भी खुद कहा कि भाई तुम्हारे

साथ ज्यादती हुई है। हरिजनों ने कहा कि आपके दादे परदादे की है छुड़ा लो, उन लोगों की जमीनें अगर दोबारा उनसे छीन के विलेज कामन लैंड ऐक्ट के तहत गांव में डाल दी तो यह बेचैनी फैलायेगी। मैं इन अलफाज के साथ गवर्नमैंट के नोटिस में लाकर कि जिस वक्त इसकी इम्पलीमैन्टेशन होतो इन्डीविजुअल या ग्रुप, जिन्होंने एन्क्रोचमैंट किया है, उनको ओवर फलो करो, दो मिनट में करो। मार्शल–ला करके कर्नल साहब कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन जिन लोगों की विलेज कामनलैंड ऐक्ट की डैमिनीशन की ज्यादती से जमीन निकल गई थी वह जो ले पाये हैं वह उन लोगों से न छीनी जाए। मैं इन अलुाज के साथ इस बिल की ताईद करता हूं।

राव दलीप सिंह (कनीरा): स्पीकर साहब, वहां पर इस हाउस में ऐक्ट के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसमें सैक्शन 13–ए जोकि कलुसिव डिक्री के बारे में है ओर उसको सैट एसाइड करने की कुछ लिमिटेशन होनी चाहिये। लिमिटेशन ऐक्ट के तहत उसक खिलाफ सिविल कोर्ट में जाया जा सकता है। जो यह सैंट्रल ऐक्ट के तह (सी.पी.सी.) डिग्रीयां मिलती है। Decree is a right. That is the property of the person, who is holding that. वह उसकी एक किस्म की जायदाद है। उस जायदाद से उसे महरूम करने के लिये इसकी सैक्शन 13–ए जो है वह सैन्ट्रल एक्ट के खिलाफ इनको वायलेट करती है उनको ओवर–लैप करती है। जब हमारी एक सैक्शन

ओवर लैप हो जाती है तो मैं यह नहीं समझता कि वह किसी हाईकोर्ट में रह सके। स्पीकर साहब ऐसे ही पहले यहां पर एक मिनरल्ज ऐक्ट था, वह भी हाई–कोर्ट से सैट–एसाइड कर दिया था, इस ग्रांउड पर कि वह सैंट्रल एक्ट वायलेट करता था। सैन्ट्रल ऐक्ट से तो इसके राइट एक आदमी को मिल गये, एक डिग्री फर्म हो गई। तीन साल की लिमिट के बाद तो उसको कैसे हटा सकेंगे। तो मैं यह समझता हूं कि अगर इसको रि–एग्जामिन कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है बजाये इसके कि हम जल्दी में इस बिल को पास करें। इसके साथ–साथ स्पीकर साहब, मे। यह बताऊंगा कि इसमें सैक्शन 13–ए में जो क्लाज 3 है उसमें यह डिसीजन देना है कि Whether the decree is collusive or not आगे देखें कि रिकार्ड पेश किया या नहीं किया? उसके खिलाफ अपील की पावर दे रखी है? एक मैजिस्ट्रेट अगर यह डिसाइड करता है ''कि कलूसिव है एंड आई सैट एसाईड'' तो उसके खिलाफ अपनी का कोई प्रोवीजन रखा जाए। इसमें यह होना चाहिए था कि उसके खिलाफ कहीं भी वह अपनी में जा सकेगा। दूसरा जो है उसमें अपनी का प्रोवीजन नहीं है। इसके साथ जो जुरिसडिक्शन का सवाल है, इसके बारे में तो यह कहना चाहता हूं कि जुरिसडिक्शन तो पहले ही सिविल कोर्ट में बार की हुई थी। उसमें ओर नई में कोई फर्क नहीं है। इन दी ऐक्ट वह स्फैसीफाई कर दिया है तो इस नये डैफिनीशन में और पुराने में कोई फर्क नहीं है। पुरानी जो डेफीशीएन्सीज हैं वह कवर हो जाती हैं। इसके साथ एक और बात कही कि अगर रैवेन्यू रिकाड्ड पेश न

किया हो तो एसिस्टैन्ट कलैक्टर यह करेगा कि यह डिक्री कल्युसिव है। रिकार्ड प्लेस किया हो, मगर प्रूव न किया हो, कई जगह ऐसा होता है कि रिकार्ड प्लेस हुआ मगर प्रूव नहीं हुआ। मिस प्लेस कर दिया, पिलफ्रिज हो गया या निकाल दिया गया तो इस सबमिशन के साथ मैं यह कहूंगा कि इस चीज को दोबारा एग्जामिन करना चाहिये कि यह सैंट्रल एक्ट को ओसर लैप तो नहीं करता है। बस मैं इतना कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, यह जो आज विलेज कॉमन लैंड एक्ट की अमैंडमैट आर्ठ यह बहुत सी अच्छी आरि जरूरी अमैंडमैंट थी क्योंकि यह बात सही है कि बहुत से केसों में इंडिविजुअल्ज ने क्लूसिव डिक्रीज कर दी हैं या लीगल पोजेशन करके पंचायत लैंड दबा ली है इसलिये उनके लिये सरकार को यह ऐक्ट बहुत जल्दी लाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि यह जो ऐक्ट लाया गया है इसमें कुछ देर हो गई है इसको बहुत पहेल ही लाना चाहिये था। जिन लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जे किये हैं उनसे ये जमीनें निकाली जानी चाहियें ओर उनको सजा मिलनी चाहियें। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा हाउस को और गवर्नमैंट को कहना चाहता हूं कि हमारा जो तहसील नारायणगढ़ ओर तहसील कालका का इलाका है इसमें बहुत सी शामलात देह थी। इस इलाके में बहुत से दरिया और नदियां नाले है। तो रिवर ऐक्शन की वजह से वहां की जो जमीन

है वह बह जाती है और कागजात में फिर उस जमीन को शामलात देह लिख दिया जाता है। यह जो ऐक्ट बना था उसमें भी यह एग्जैम्पशन है कि रिवर ऐक्शन की वजह से जो जमीनें शामलात देह बनाई गई हैं वे उसी की रहेगी जिसकी वे पहले थीं। लेकिन कई केसिज में ऐसा हुआ कि जिसकी जमीन थी उसकी जांय किये बगैर वह जमीन पंचायत के नाम कर दी। तो जब लोगों ने देखा कि ऐक्ट में इसकी एग्जैम्पशन है तो उन्होंने कहीं पर अपील की, कहीं दावे किये और कहीं डिक्रियां की। ऐसा होने पर कोर्टो ने भी देखा कि वाकई ये जमीने रिवर ऐक्शन की वजह से शामलात देह बनी हैं तो अब यह जो सिविल कोर्टस की जूरिसडिकशन् से इसको निकाला जा रहा है तो उससे यह खतरा है कि जिसकी जमीन है कहीं उसके साथ ज्यादती न हो जाए। इसलिये सरकार की जैसा की श्री दौलता साहब जी ने भी कहा कि खास हिदायत करनी चाहिये कि किसी के साथ बेइन्साफी न हो पाए। स्पीकर साहब, मैं आपको यह एक मिसाल बता रहा था। आप ऐक्ट को पढ़ लें उसमें यह है कि जो जमीन रिवर ऐक्शन की वजह से शामलात देह बन गई है उसके लिये एग्जैम्पशन है कि वह उसी की रहेगी जिसकी वह पहले थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे इलाके में दरिया और नदियां नाले बहुत हैं जिनके कारण हरसाल वहां की जमीन बह जाती है तो मेरा निवेदन है कि ऐसी जमीन इसमें नहीं लेनी चाहिये। सरकार की तरफ से जो रूल बनें और ऐक्ट में जो एग्जैम्पशन है उसका ख्याल किया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी (यमुनानगर): स्पीकर साहब, यह जो 1961 के ऐक्ट में बड़े तजुरबे के बाद सरकार अमैंडमैंट लाई है उसके लिये मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। इसमें जो डिफरैट सैक्शज में अमैंडमैंट लाई गई हैं उनसे यह होगा कि एक तो केसों की जल्दी डिसपोजल होगी और देसरे ला–कोर्टस उसमें रूकावट न बनेंगे। कोर्टस की जूरिसडिक्शन छोड़ने का मकसद यही है कि ऐसे केसिज की डिसपोजल जल्दी हो ओर कोर्ट में किसी की अपील न हो। चौधरी शिव राम वर्मा जी ने काह कि गवर्नमैंनअ को इसमें पार्टी क्यों बनाया गया है? जैसे चौ. अमर सिंह जी ने भी बताया और मैं अभी उनको बताना चाहता हूं कि गवर्नमैंट को इसमें पार्टी इसलिए बनाया गया है ताकि वह पंचायतों के हक को महफूज रख सके। ऐसे मामले केवल देहातों में ही नही हैं ये शहरों में भी हैं। शहरों में जहां–जहां म्यूनिसिपल लिमिट्स बढ़ी हैं वहां पर जमीनों की एनक्रोचमैंट हुई है और मुझे तो यहां तक भी पता है कि लोग वहां जमीनों को बिल्कुल सफाचट कर गए हैं। तो इस बिल के जो एम्ज एंड आब्जैक्टस हैं वह यही हैं कि ऐसे केसों का निपटारा जल्द से जल्द हो। इसलिये यह जो अमैंडमैंट है इसको लाकर सरकार ने पहली कामयाबियों के कदम में एक और कदम रखा है इसलिये मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं।

चौ. चांद राम (बबैन एस.सी.): स्पीकर साहब, इस बिल के पीछे जो भावना हैं वह तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें यह

नहीं साफ किया गया कि डेट आफ कमैंसमैंट कब से लागू होगा, यह स्पैसिफिक्ली नहीं दिया गया है। यह तो स्पष्ट है कि गवर्नर साहब से जब मंजूर हो जाएगा उस वक्त से समझा जाएगा लेकिन जो बिल बनता है उसमें डेट आफ कमैंसमैंट दी जाती है कि –

"This Act/Bill shall come into force at once."

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें इस बात की कमी क्यों है? यह सरकार चाहती है .....

श्री अध्यक्ष: यह तो अमैंडिग बिल है।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, अगर अमैंडिग बिल है फिर भी डेट आफ कमैंसमैंट तो चाहिये।

Mr. Speaker: As soon as the assent is received, and is published it will become a part of the Principal Act.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, आपके सामने ऐसे बहुत से कानून आए होंगे चाहे वो अमैंडिग बिल ही क्यों न हों लेकिन उनमें डेट आफ कमैंसमैंट लिखी जाती है कि फलां डे से होगा। अगर सरकार यह समझती है कि मंजूरी मिलने के बाद फौरन ही फोर्स में आ जाएगा तो ठीक है। स्पीकर साहब, इसमें एक और कमी है जैसे चोधरी अमर सिंह ने भी कहा कि मेन ऐक्ट की सैक्शन 2 की जो क्लाज 7 है इसमें जो सबस्टीच्युट हुआ है वह इस प्रकार है:

"An Assistatn collector may, either suo motu or on any applicaiton made to him by a panchayat ..... put the panchayat in possession thereof ....."

अब यह 'मे' की बजाए पहले एक्ट में जो था सह ''शैल'' था और ''शैल'' दोनों को कवर करता था may put the panchayat in possession thereof को भी कवर करता था। लेकिन इसमें सिर्फ 'मे' है। स्पीकर साहब हम जानते हैं कि हमारी जो रैवेन्यु कोर्टस है वह आमतौर पर प्रोपरायटी बौडी को ही फेवर करती हैं। मुजारों के मामले मैं हमने देखा है, एक हमार मुजारों को बेदखत कर दिया गया हालांकि कानून में था कि उनकी बेदखली नहीं होनी चाहिये थी, लेकिन थोड़ी सी भी अगर माल के अफसरान को शह मिल जाए तो वह उसमें अपनी डिसक्रीशन इस्तेमाल करते हैं और वह कहते हैं कि हमारी मजबूरी कहां है, हमारी लाचारी कहां है, यह तो हमारी मर्जी की बात है, हमारी डिसक्रीशन है हम चाहे करें चाहे न करें। तो इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसमें सरकार गिर चाहे तो अमैंडमैंट ला सकती है। आप अपनी सरकारी बैंचों से अमैंडमैंट ले आए और इसमें ''शैल'' का लफ्ज 'मे' की बजाए कर दें। वैसे तो हम भी अमैंडमैंट दे सकते थे लेकिन वह सरकार ने माननी नहीं थी, इसलिए मैं कहूंगा कि सरकारी आदमी की तरफ से आप अमैंडमैंट लाकर उसे मान लें ताकि यह डिसक्रीशनरी पावन उनको न रहे। जैसे अभी चौ. शिव राम जी ने कहा था कि न्यायपालिका की ज्यरिसडिक्शन को हर मामले में बिल्कुल खत्म कर दिया है। यहां तक कि किसी की

दरखास्त पर डिटरमिन भी नहीं कर सकती कि वह जमीन पंचायत में वैस्ट करती है या नहीं करती है। इसको डिटरमिन करने के लिए असिस्टैंट क्लैक्अर या क्लैक्टर होगा। यह उसकी मर्जी की बात है। मै। स्पीकर साहब यहां बताना चाहूंगा कि वह तो पहले ही जमीन के बटवारे करवाते रहे हैं, इस कानून के आने से पहले भी शामलात की जमीन के बटवारे करवाते रहे हैं और तहसीलदार ओर माल अफसर भी पार्टी रहे हैं इस मामले में, बल्कि उक्साते रहे हैं मालकान को कि तुम जमीन तकसीम करवा लो। लेकिन अब इस काम को देखना कि पंचायत में यह जमीन वैस्ट करती है या नहीं करती, उनके जिम्मे कर दिया गया है। पहले तो अगर किसी को ग्रीवैंस होता था तो पुराना रैवेन्यू रिकार्ड लेकर दिवानी अदालत में दावा कर देता था, गांव का कोई भी आदमी जाकर दावा कर सकता था। तो इस बिल के जरिए जो न्यायपालिका पर बिल्कुल पाबन्दी लगा दी गई है कि वह इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं दे पाएगी, इससे मैं समझता हूं कि लोगों को तंगी होगी। इस बात पर विचार करने की जरूरत है।

इस बिल की जो धारा 2 की सबक्साल 2 है उसके अन्दर भी कोई तारीख नहीं दी गई। पहले यह प्रोविजन था कि जिस आदमी ने नाजायज कब्जा करके फायदा लिया हो उस पर तीन साल की रिक्वरी का दावा हो सकता था, लेकिन इसमें कोई पीरियड नहीं लिखा गया ओर इस चीज को वेग छोड़ दिया गया है। तो आप रिक्वरी किस हिसाब से करेंगे, आया उसका दस

सालों से नाजायज कब्जा चला आ रहा है यह 15 साल से है, इस सारे पीरियड की आप रिकवरी करेंगे, या दो साल की करेंगे, या एक साल की करेंगे या 6 महीनों की करेंगे। याह चीज आपको क्लीयर करनी चाहिए। इसके इलावा जो पहला ऐक्ट है उसके मुताबिक जो रिकवरीज जुरमाने वगैरा की शक्ल में होती थीं वह रक्म पंचायत फंड में जाती थी, लेकिन अब इस बिल में वह चीज कलीयर नहीं की गई कि वह पैसा कहां जमा होगा? आपके अनैक्सचर में लिखा है –

"While doing so he shall also assess the benefit derived by the persons during the period of wrongful or unauthorised possession of such land or other immovable property in the shamilat deh but not exceeding the period of three years and shall cause the amout to be deposited in the Gram Fund of the panchayat concerned."

यह आपके अनैक्सचर में दिया है। मेन ऐक्ट के पेज 2 की सब–धारा 3 में लिखा है :–

"If any persons refuses or fails to comply with the order or eviction passed under sub-section (1) within ten days of the date of such order, the Assistant Collector of the first grade may use such force, including police force, as may be necessary for putting the Panchayat in possession."

स्पीकर साहिब पुलिस फोर्स तो होती है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इसके पास कौन सी दूसरी फोर्स है जो इस्तेमाल की जाएगी? क्या उसको वह पीटेंगे, गाली देंगे धक्के

देंगे? ऐसा तो होता है कि अगर कोई कब्जा न छोड़े तो उसे बेदखल करने के लिए पुलिस की मदद ली जाती है लेकिन जो इसमें फोर्स का लफ्ज लिखा गया है इससे कौन सी फोर्स समझी जाए? क्या हम यह समझें कि आप मारने पीटने की बात करेंगे? अगर आप पीटने की प्रथा डालना चाहते है तो यह अच्छी बात नहीं है।

कर्नल महा सिंहः मैं इस बात को कलैरीफाई कर देता हूं। असिस्टैंट क्लैक्टर की तरफ स या बी.डी.ओ. की तरफ से अगर कोई पयादा आर्डर की कम्पलायंस करवाने के लिए जाए और वह बेदखल होने से हीलोहुज्जत करे तो फिर पुलिस की मदद ली जा सकती है।

चौ. चांद रामः स्पीकर साहब पयादा कोई फोर्स थोड़ा होती है। यह जो मेरे पास हिन्दी का बिल है इसमें लिखी है ''पुलिस बल''। पयादा अगर जाकर जबानी कहेगा तो अगले की मर्जी है वह माने या न माने। इसलिए जो 'फोर्स' का लफ्ज है यह मेरे ख्याल में अच्छी सैंस में नहीं है इसलिए यह 'फोर्स' का लफ्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो दीवानी अदालतों पर पाबंदी लगाई गई है यह इस हद तक पाबन्दी नही लगानी चाहिए थी। कुछ मामलों मं आप बेशक पाबंदी लगा देते लेकिन जो उनका ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल खत्म कर दिया है इससे नौकरशाहीवाली बात होगी क्योंकि एगजेक्टिव जो है वह तो हमेशा सरकार की ही मदद करेगी। इसमें लिखा हुआ है कि असिस्टैंट

क्लैक्टर करे ओर फिर कलैक्टर करे लेकिन क्लैक्अर का फैसला भी फाईनल नहीं है। जो कमिश्नर है वह अपनी इच्छा से जब चाहे सारा रिकार्ड तलब कर सकता है ओर वह लीगैलीटी नहीं बल्कि प्रोपरायटी देखेगां इसकी बजाए आपको यह करना चाहिए था कि कमिश्नर चूंकि एपीलेट अर्थोरिटी है इसलिए जो एग्रीवड हो वह अपील कर ले। लेकिन यह जो उसको प्रोपरायटी देखने की पावर दी है यह नहीं देनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्षः यह रिवीजन पावर्ज हैं।

चौ. चांद रामः हां जी यह रिवीजन पावर्ज तो मानी गई हैं लेकिन वह किसी वक्त भी, दस साल बाद, पांच साल बाद या जब चाहे रिकार्ड मंगवा सकता है ओर प्रोपरायटी देख सकता है। मैं कहता हूं कि आप लोगों को कहीं टिकने भी देंगे। इससे तो और झगड़े पैदा होंगे और लोग अनसरटिनटी का शिकार बने रहेंगे। इसलिए इस बात की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। इसमें एक चीज और की गई है कि अगर किसी ने अदालत से फरजी डिग्री ले रखी हो तो दो साल के अन्दर अन्दर आप उसका नोटिस ले सकते हैं, आप दो सालों के लिए क्यों करते हैं, इसमें कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। हां, प्रजैंटली अगर आप पिछले दो साल का कर दें तो और बात है। हां जो पिछले पांच साल या दस साल हो वह केसिज इसमें कवर होंगे कि नहीं। इसमें इसके बारे में आप ने कुछ नहीं लिखा कि कितने साल की कोलुसिव डिग्री सैट–ए.साईड होगी। इसमें आपको यह चीज कलीयर करनी

चाहिए पांच साल की, दस साल की या 1954 से लेकर, जब यह कानून बना था, अब तक की कोलुसिव डिग्रीज सैट–ए–साईड होंगी। यह चीज आपने वेग छोड़ रखी है इसको आप इसमें कलीयर करें।

तो स्पीकर साहब, यह मामूली सी चीज है जिसको आप प्रोसीजरल कहिए या कुछ और कहिए लेकिन इस चीज को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया, वेग छोड़ यिदा गया है जिससे लिटिगेशन बढ़ेगा। हमारा कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें मुकदमा करने के लिए गुजाईश न हो, वकीलों द्वारा कानून में कमियां निकालने की खामियांकम होनी चाहिए। कोई भी विधानसभा या कोई भी सरकार वही अच्छी होती है जो कानून का बनाते समय कोई छिद्र न रहने दे, अदालत में जाने की कोई गुंजाइश न रहे।

स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ एक बात रिवर एक्शन के बारे में कहूंगा। गांवों में बहुत सी नदियों पर बांध बनाये हुए हैं। ऐसे सैकड़ों गांव होंगे जिनमें शामलात देह है ही नहीं है। पंचायतों के पास जमीन होने का मुददा यह है कि पंचायत की आमदनी बढ़ानी है। अगर पंचायत के पास शामलात जमीन नहीं होगी तो आमदनी कहां बढ़ेगी? मैं समझता हूं कि पंचायत को कोई आमदनी नहीं होगी। गांव में लोग चूल्हा टैक्स भी नहीं देते। 1961 में एक कानून बना था कि एस.डी.ओ. या असिस्टैंट कुलैक्टर्ज वगैरा पंचायत की जमीन को सुरक्षित रखें

लेकिन नहीं रखी गई। इस पर कोई न कोई पाबन्दी लगानी चाहिए थी, रोक लगानी चाहिए थी। सरकार के अफसरों का यह काम होना चाहिए कि वे गांव–गांव में जाकर देखें कि जमीन सुरक्षित है या नहीं। ज्वांयट पंजाब में 24 लाख एकड़ शामलात देह हुआ करती थी और जब हरियाणा बना तो हरियाणा के पास तकरीबन 8 लाख एकड़ जमीन थी। आज 8 लाख एकड़ जमीन में से मुश्किल से 4 लाख एकड़ रह गई होगी या इससे कम होगी क्योंकि मुझे ठीक आंकडों का पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब हरियाणा बना था तो आठ या सवा–आठ लाख एकड़ जमीन थी और अगर इसको सरकार सुरक्षित रखती तो गांवों की, पंचायत की आदमनी बहुत अच्छी हो सकती थी, गांव बहुत सुन्दर हो सकते थे। आज गांव की आबादी बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ती है तो उसकी प्लेनिंग करें, जमीन को सुरक्षित रखें। जमीन सुरक्षित हो सकती है अगर सरकार कानून की इम्पलीमैंटेशन ठीक तरीके से करे। जो आबादी बढ़ रही है उसमें जरूरमंद लोगों को जमीन दें।

एक बात आपकी मारफत सरकार से और अर्ज कर देना चाहता हूं कि सरकार गांव गांव में नक्शे बनवा दें। लोग तीन–तीन बीधे को 'घेर' खींचे हुए हैं नाजायज तौर पर। जो जबरदस्त होता है वह खींच लेता है, जो छोटा जमींदार है वह नहीं कर सकता, इस चीज को रोकना चाहिए। मिनिस्अर साहब गांव के रहने वाले है, उनको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए

कि गांवों के नक्शे बनवा दे ताकि यह पता चल सके कि किसके मकान का कितना 'घेर' है, कितनी शामलात है, कितनी खाली पड़ी हुई है, किसने नाजायज कब्जा कर रखा है, अगर नाजायज कब्जा किया है तो उसको खाली करवाया जाए। एक डैड लाईन रखे कि फलां तारीख तक बी.डी.ओ. या कुलैक्टर नक्शे बना कर दे, सारे कागजात तैयार करे ताकि किसी शामलात जमीन पर नाजायज कब्जा न हो। तभी इस बिल की भावना पूरी होगी वरना मुकदमें होंगे और लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी।

चौ. मनफल सिंह (झज्जर): स्पीकर साहब, पंजाब बिलेज कौमन लैंड (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल हाउस के सामने है। इसमें तीन चीजें इन्वाल्वड हैं। कोल्युसिव डिग्री तीन किस्म की हुई हैं अदालतों में। एक इंडिवीज्वल ने कब्जे करके गोरा देह पर, शामलात देह पर, स्ट्रीट पर उन्होंने दावे कर दिए और सरपंच ने उनसे मिलकर कोर्ट में ब्यान दे दिए। एक तो वो कोल्युसिव डिक्री हैं इंडिविज्वल की गोरा देह वगैरा पर कब्जा करने की। दूसरी हैं इंडिविज्वल डिक्री शामलात देह की। शामलात जमीन पर कब्जा कर लिया और सरपंच से मिलकर सिविल कोर्ट से डिक्री ले ली। तीसरी डिग्री है पाना शामलात, ठोला शामलात और पट्टी। ये इस डैफिनीशन में नहीं आतीं। इससे तो और भी ज्यादा सीरियस कम्पलीकेशन होंगी। वो शामलात देह की डैमिनीशन में नहीं है। वह तो ठोले की जमीन है 15 घरों की है। अब इस क्लाज को लेकर के वे सब कोर्ट में चले जाएंगे। शामलता देह पर जो

कल्युसिव डिक्री हैं, चाहे वो इंडिविज्वल की हैं, चाहे पांच दस आदमियों ने मिल करके कब्जा किया है, वो तो दुरूस्त है, वो तो कोल्युसिव डिक्री नहीं हैं। जो हमारा 61 का ऐक्ट है, उसमें उसकी डैफिनीशन दी हुई है कि पाना शामलात और ठोला शामलात क्या है। वो तो शामलात देह की डैफिनीशन में आती है। लेकिन जो मेरे लायक दोस्तों ने यह जिक्र किया है कि कोल्युसिव डिक्री हैं, यह ठीक नहीं है। इंडिविज्वल की तो कोल्युसिव डिक्री है, लेकिन पाना और शामलात का तो एक्ट में प्रोवीजन है, उनको तो वैसे ही राईट था, वो तो गलती से रैवेन्यू आफिसर ने शामलात देह की म्युटेशन कर दिए थे, पंचायत में चली गई थी। वे सिविल कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट में बड़े हौटली कंटैस्ट हुए हैं, अपीलें भी हुइ। अब भी पाना–ठोला–शामलात के हक में फैसले हुए है। कुछ सरपंचों ने देखा कि पाने की जमीन है, ठोले की जमीन है, लीगली उनका हक है। सरपंचों ने ब्यान दे दिए। कुछ भाई यह समझते हैं कि वे कोल्युसिव डिक्री उन डैफिनीशन में फाल होती है। रैवेन्यु आफिसर अब क्या करेंगे, उन डिक्रियों को भी जिनके रैवेन्यु रिकार्ड हैं, जो पाना–शामलात मल्कीयत थीं, पाने के कब्जें में थी, उनकी भी वे कोल्युसिव डिक्री लेकर वे दरखास्तें देंगे रैवेन्यु आफिसर को। रैवेन्यु आफिसर सोचेंगे कि इस ऐक्ट के मुताबिक तो यह सारी शामलात देह है। एक्ट में स्पैसिफिकली–प्रोवीजन ले–डाउन करना चाहिए। या तो यह बिल सिलैक्टर कमेटी को जाए या रूल्ज में स्पैसिफाई किया जाये कि जो जमीन सन् 53 से पहले या 61 से पहले पाना–शामलात थी,

ठोला शामलात थी, पट्टी की जमीन थी, और वे गलती से रैवेन्यु आफिसर ने शामलात थी, ठोला शामलात थी, पट्टी की जमीन थी, ओर वे गलती से रैवेन्यु आफिसर ने शामलात करके पंचायत में उसके म्युटेशन कर दिए, वो इसमें फाल नहीं होती और न ही होनी चाहिए। इस तरह लाखों की जमीन प्रोप्राइटर की है, उसका शामलात से क्या ताल्लुक? यह दुरूस्त है कि शामलात देह पर अगर कोल्युसिव डिक्रियां हैं वो सैट–असाईड होंगी, चो वे 10 बीधे हैं या 15 बीधे हैं। कर्नल साहब, आप इस ऐक्ट में जो सैक्शन (13) ए इन्सर्ट कर रहे हैं, इसके अन्दइर साफ लिखा हुआ है। इसमें एक ऐम्बीगुटी है। इसमें लिखा है–

"Where a decree has been obtained from a civil court by any person against any panchayat in respect of any land or other immovable property on the grounds of its being excluded from shamilat deh ....."

यह जो ऐम्बीगुअस क्लाज है, इसमें वो जमीनें भी फाल करेंगी जो कभी शामलात देह में नहीं आती थी। इसके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसिज होंगे, बड़ी कम्पलीकेशन्ज होगी। जो पाने और ठोले की जमीनें है उसके लिए गांव वाले दरखासतें दे दैंगे ओर वे बेचारे कोर्टो में घूमते रहेंगे। रैवेन्यू आफिसर यह सोचेगा कि ऐक्ट आ गया है इसलिए यह सारी सैट असाईउ होनी चाहिए। वे उठा करके पंचायतों के कब्जे दे देंगे। इसलिए ठोले, पाने और पट्टी की जो जमीनें हैं उनके लिये स्पैसिफिक प्रोवीजन होना चाहिए, वो इसके अन्दर फाल नहीं होनी चाहिए। इससे कुरप्शन

बढ़ेगी। हर गांव में लिटिगेशन होगी। मेरी स्पीकर साहब, आपके द्वारा दरखास्त है कि इसके अन्दर जो ऐम्बिगुटी है, यह तो यह सिलैक्ट कमेटी को जाए या रूल्ज में स्पैसिलाई किया जाए ताकि लिटिगेशन न हो। जो जमीनें पाने और ठोले की हैं वो इस कैटेगरी में फाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस अमैंडिंग बिल की वर्डिग से साफ नहीं है, इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, कुरप्शन बढ़ेगा। इससे तो पैदावार भी कम होगी। जो लाखों बीघे जमीन है वह पंचायत में दे देते हैं, अब तो वो काश्त हो रही है, पहले नहीं होती थी। अगर उसको पंचायत में दे दें तो सरपंच घपला करेगा, इससे स्टेट की प्रोडक्शन घटेगी। मेरे लायक दोस्त ने कहा कि हरिजनों को फायदा होगा। इससे हरिजनों को क्या फायदा होगा? वे शामलात पड़ी रहेगी और पट्टे पर उठती रहेंगी। गांव में किसी को 500 बीघे, किसी को 200 बीघे मिल जायेगी। इसलिए स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है कि इस बिल में ऐम्बीगुटी है, इससे लिटिगेशन होगी, कुरप्शन ज्यादा होगी और कोर्ट में केसिज भी चलेंगे। यही मेरी दरखास्त है।

चौ. मेहर चन्द (बड़ौपल): स्पीकर साहब, अपोजीशन की तरफ से इस बिल पर जो नुक्ताचीनी हुई है उसको सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कहा है कि –

खता जू हर बली शह में बुराई ढूंढ लेता है,

चमन में भी निगाहे जाग पड़ती है गिलाजत पर।

इस बिल का असल मकसद तो यह है कि ऐनक्रोचमैंट को रिमूव किया जाए। (विघ्न) कौए की आदत ही यह है कि वह गिलाजत की तरफ ही जाता है खुशबू की तरफ नहीं जाता। इस बिल में तो खुशबू है। (विघ्न) (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह मैंने कोई अपनी मन–घड़न्त बात नहीं की है। यह तो एक शायर ने कहा है। मैं इस बात को फिर रिपीट कर देता हूं और बड़ी फोर्स से कहता हूं कि –

खता जू हर बली शह में बुराई ढूंढ लेता है,

चमन में भी निगाहे जाग पड़ती है गिलाजत पर। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये भले ही जो कुछ कहते रहे मैं यह महसूस करता हूं कि इस बिल के अन्दर जो अन्डर–लाईग औब्जैक्टिव है वह यह है कि शामलात जमीन है उसके ऊपर ऐनक्रोचमैंट न होने पाए और जहां ऐनक्रोचमैंट है उसे फौरन दूर किया जाए। इस बात की तरफ तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं ओर चले गए दूसरी तरफ। मैं एक बात मानता हूं। कानूनदानों की बात मैं मानूंगा। मुमकिन है कि कोई वर्ड ठीक फिट–इन न हुआ हो लेकिन यह बात नहीं है कि यह बिल ही ठीक नहीं है। मेरे मोहतरिम दोस्त चौ. चांद राम जी ने कहा है कि भावना तो ठीक

है। चौधरी साहब जो अभी बोल रहे थे, इन्होंने भी कहा है कि भावना तो ठीक है लेकिन और नुक्स क्या आ गया? असल चीज भावना है जो देखी जाती है लेकिन इन्होंने तो डायरैक्शन ही दूसरी पकड़ली। बात असल में यह है कि बगैर इफ्स एंड बटस लगाए हुए मजा नहीं आता। मैं तो इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं लकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, बैठने से पहले मैं यह बात जरूर कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने यह सबसे बेहतरीन अमैंडिग बिल लाया है। एक बिल ओर आया था इस हाउस में मेरे हाते हुए जब से मैं असैम्बली का मैम्बर हूं। उसका नाम था कैनाल ऐक्ट। वह भी बेहतरीन था और यह भी बहुत बेहतरीन है। इस ऐक्ट के जरिए शामलात देह की जमीन पर से नाजायज कब्जों को हटाया जाएगा। मैं अपने गांव की बात कहता हूं वहां लोगों ने शामलात जमीन पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं। अगर सिविल लिटिगेशन में दस–दस साल निकल जाए तो बनेगा क्या? इस वास्ते इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं।

श्री औम प्रकाश गर्ग (थानेसर): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो अमैंडिग बिल आज हाउस में पेश है इसके बारे में अपोजीशन के मेरे साथियों ने एक तरफ तो यह कहा कि इसकी भावना अच्छी है लेकिन दूसरी तरफ बुराई भी कर दी। बेचारे आदत से मजबूर हैं। जब भावना अच्छी है तो बुराई किस बात की? (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल से बहुत लाभ हरियाणा को होने वाला है। इस वक्त हरियाणा को कोल्युसिव डिक्रीज के होने से बहुत

नुकसान पहुंचा है। जो बे–जमीन लोग हैं उनको आज गाय भैंस चराने के लिए कोई जगह नहीं है (विघ्न) ठीक है चौ. अमर सिंह जी मन से दु:खी है। इस बिल से लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बीमारी ज्यादातर गुहला की तरफ है और उसके आगे हमारी तरफ भी है तहसील थानेसार में। मैं अपने एरिया की ही बात आपको बताता हूं। वहां एक डेरा विलेज है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कभी रादौर तशरीफ ले गई होंगी तो आपने देखा होगा कि लाडवा की जो नई मंडी बनी है उसकी दूसरी तरफ डेरा विलेज है। उन भाइयों ने क्या किया? उस पंचात ने कोल्युसिव डिक्री करा ली, जमीन को तकसीम कर लिया, दो तीन एकड़ की जमीन में जो स्कूल बना था उस स्कूल की जमीन को तकसीम कर लिया। आज वह पंचायत डिसक्वालीफाई हो गई है और सरपंच निकाल दिया गया है। दूसरा हरिजन सरपंच वहां आया। वह हरिजन सरपंच उनके अड्डे नही चढ़ सका। इस पर गांव वालों ने और पंचायत ने नो–कांफिडैंस मोशन उसके अगैन्सट पास किया है। उनकी मंशा है कि जो जमीन रहती है उसको भी हड़प किय जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कदम बहुत सराहनीय है। यह ठीक है कि चौ. शिव राम वर्मा ओर चौ. राम लाल जी को इससे नुकसान होगा लेकिन यह बात भी ठीक है कि हरिजन भाइयों, बेजमीन भाइयों और आम आदमी को भी इससे लाभ होगा। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी विसातत से मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसा पंचायतों की तरफ ज्यादा ध्यान रखा जाए जहां गड़बड़ होने का अन्देशा

है। डेरा पंचायत में इस वक्त कोई सरपंच नहीं है। वे अपना सरपंच बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि यदि वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाए तो जमीन की देख रेख अच्छी हो सकती है और उसका केस अच्दी तरह से लड़ा जा सकात है ओर ज्यादा तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं क्या अर्ज करूं मैं केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि इस ऐक्ट के बन जाने के बाद तमाम पंचायतों की जमीन को, जहां–जहां भी झगड़े हुए हैं वहां पर उनकी वापिस कराने की कृपा की जाए ताकि वे–जमीन जो लोग हैं चाहे वे हरिजन हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं या किसी भी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनको लाभ हो सके। इससे डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंचायतों की आमदनी जमीन की आमदनी से बढ़ेगी और गांव की डिवैल्पमैंट भी होगी। मेरे भाई चौ. शिव राम वर्मा को इस बात से घबराना नहीं चाहिए। इससे उनको ओर उनके साथियों को भले ही कोई लाभ न हो मगर गांव को लाभ जरूर होगा। मैं आपकी विसातत से डिप्टी स्पीकर साहिबा, इतना ही अर्ज करना चाहता हूं। जयहिन्द।

चौ. राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, दी पंजाब विलेज कौमन लैन्डज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1974 सदन में प्रस्तुत हुआ है ओर उस पर बहस चल रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार जो भी बिल लाती है उसे अपने ख्याल से वह अच्छी भावना से ही लाती है और कम से कम यह जो यहां आया है यह तो अच्छी भावना से ही है इसमें कोई दो

राय नहीं। हमारे फाजिल दोस्त श्री ओम प्रकाश जी को तो शायद इस बारत से भी तकतीफ होती है कि अपोजीशन ने यह क्यों कह दिया कि इस बिल की भावना अच्छी है। ये शायद सोचते हो कि यह तो इनका काम था, अपोजीशन ने ऐसा क्यों कह दिया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम इस बिल का इस हद तक स्वागत करते हैं कि सरकार ने एक अच्छा काम करने की ओर एक पग उठाया है। जो नाजायज कब्जे शामलात देह पर है उनको अगर सरकार वाकई ही ईमानदारी से हटा सके तो हरियाणा के अन्दर यह बहुत बड़ा काम होगा लेकिन जैसा मेरे एक दो फाजिल दोस्तों ने कहा, मैं उनको भी स्पोर्ट करता हूं इस बात में कि इस बिल के अन्दर लकूने बहुत हैं। जितनी अच्छी इस बिल की भावना है उसको सामने रखते हुए हम चाहते हैं कि सही मायनों में हरियाणा के अन्दर शामलात जमीन पंचायत के पास आए और उसका ठीक इस्तेमान होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा जो पुराना एक्सट्रेक्ट हमें दिया गया है। उसमें और अब जो नयी क्लाजिज डाली गयी है, इनमें कोई विशेश अन्तर नहीं है। केवल कुछ वर्डिग की चेंज की गई है या कुछ विस्तार से दिया गया है। जो इस बिल का मकसद था वह पहले भी यही था और अब भी यही है। अब यह जो अनैक्सचर पंजाब विलेज कामन लैन्डज (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 है इसकी सैक्शन 7 की सब–सैक्शन 1 में दिया हुआ है –

Extract from the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961

7. (1) An Assistant Collector of the first Grade having jurisdication in the village shall on an application made to him by a Panchayat or the Block Development and Panchayat Officer or Social Education and Panchayat Officer or any other officer authorised by the Block Development and Panchayat Officer after making such summary enquiry, as he may think fit and in accordance with such procedure as may be prescribed, put the Panchayat in possession of the land or other immovable property in the shamilat land of that village which vests or is deemed to have been vested in it under this Act and for so doing the Assistant Collector may exercise the powers of a revenue Court in relation to the execution of a decree for possession of land under teh Punjab Tenancy Act, 1887."

आगे सब क्लाज दो में है:–

"(2) An Assistant Collector of the First grade having jurisdication in the village may, either suo motu or on an application made to him by a Panchayat or an inhabitant of the village or the Block Development and Panchayat Officer or Social Education and Panchayat Officer or any other Officer authorised by the Block Development and Panchayat Officer eject inthe manner and in accordance with the procedure referred to in sub-section (1), any person who is in wrongful or unauthorised possession of any land or other immovable property in the shamilat deh of that village which vests or is deemed to have been vested inthe Panchayat under this Act and also impose a fine on such person not exceeding one thousand rupees which, if not paid, shall be recoverable as arrears of land Revenue. While doing so he shall also assess

the benefit derived by the person during the period of wrongful or unauthorised possesison of such land or othe rimmovable property in the shamilat deh but not exceeding the period the three years and shall cause the amount to be deposited in the Gram Fund of the Panchayat concerned."

यह पुराना ऐक्ट 1961 का है और जो सन् 1974 में अमैंडमेंट लाये हैं उसकी क्लाज दो के अन्दर लिखा है–

"For section 7 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (herein after referred to as the principal Act), the following section shall be substituted, namely :-

"7. Power to put panchayats in possession of certain lands. – (1) An Assistant Collector of the first grade having jurisdiction in the village may, either suo-motu or on an application made to him by a panchayat or an inhabitant of the village or the Block Development and Panchayat Officer or Social Education and Panchayat Officer or any other officer authorised by the Block Development and Panchayat Officer, after making such summary enquiry as he may deem fit and in accordance with such procedure as may be precribed, eject any person who is in wrongful or unauthorised possession of the land or othe rimmovable property in the shamilat deh of that village which vests or is deemed tohave been vested in panchayat under this Act and put the panchayat in possession thereofg and for so doing the Assistant Collector of the first grade may exercise the powers of a revenue court in relation tothe execution of a decree for possession of land under the Punjab Tenancy Act, 1887....."

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा सन् 1961 से लेकर 1974 तक यानी 13 साल तक यह सरकार शामलात देह जमीन लेने के लिए कोई ऐक्शन नहीं ले सकी। अब सन् 1974 में अमैंडमैंट करके कुछ वर्डिंग चेंज करके और एक नयी क्लाज बनाकर शामलात देह की जमीन को लेना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस बिल की स्पिरिट तो पहले भी अच्छी थी ओर अब भी अच्छी है। सवाल तो केवल ऐक्शन और उसको इम्पलीमैंटैशन का है। 13 साल के अर्से के अन्दर कुछ भी इम्पलीमैंटेशन नहीं कर सकी। अब सरकार सदन को बताने के लिए अमैंडमैंट उन्हीं क्लाजिज को तोड़–मरोड़ कर ले आयी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल अच्छा है लेकिन सवाल तो इम्पलीमैंटेशन का है। इम्पलीमैंटेशन सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। जो बिल यहां पास होता है उस पर ऐक्शन नहीं होता। बिल तो स्टेट की बेहतरी और बहबूदी के लिए होता है। लेकिन सवाल तो यह होता है कि सरकार किस तरीके से काम करती है। हमारे मन में इसीलिए सन्देह उत्पन्न होता है कि 13 साल के अन्दर मौजूदा सरकार इस बिल पर कोई ऐक्शन नहीं ले सकी। अब आगे क्या लेगी, यह भी कुछ समय पश्चात् मालूम हो जायेगा। मैंने यहां सदन में पिछली बार भी बताया था कि सरकार ने भीख मांगना बन्द करने का कानून बनाया था लेकिन आप हरियाणा के किसी भी शहर में या कहीं भी चले जाइये, लोग भीख मांग रहे हैं। सिनेमा में सिगरेट पीना बन्द का कानून बना दिया गया लेकिन

अब भी सिनेमा में लोग सिगरेट पीते हैं। सवाल तो यह है कि सरकार जो बिल पास करे उसको इम्पलीमैंट भी करना चाहिए।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं एक सुझाव दूंगा, अगर सरकार आनैस्टली चाहती है कि यह बिल ठीक तरह से लागू हो और ठीक तरह से इसकी इम्पलीमैंटेशन हो, वह मान ले तो इससे सरकार को काफी लाभ हो सकता है। वैसे तो बहुमत के आधार पर सरकार इसको पास भी करा लेगी और हम वापिस लेने के लिए कहेंगे तो वापिस भी लेगें नहीं, यदि सिलैक्ट कमेटी को भेजने के लिए कहेंगे तो भी नहीं भेजेगी। मेरा सुझाव ऐसा है जिससे इसकी इम्पलीमैंटेशन जल्द से जल्द हो सकती है। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो एम.एल.ए. हैं या अफसर हैं उनकी एक कमेटी बनायी जाये। वह कमेटी टाईम बाउन्स इन्कवायरी करके सरकार को रिपोर्ट करे कि किस गांव में कितनी जमीन है, नाजायज तौर पर कितने लोगों ने उस जमीन को दबा रखा है। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर दो–तीन महीने या छः महीने लगातार बैठकर सारी पंचायतों के केसों की इन्कवायरी करें ओर वे जब रिपोर्ट दे दें तो अस्सिटैन्ट कुलैक्टर लगातार बैठकर उनके ऊपर डिसीजन दे दे। इस तरह से यह मामला आसनी से सुलझ जायेगा। अगर कोई हाई लैवल की कमेटी बनायी जायेगी तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके अन्दर तो कम से कम दो–तीन साल लग जायेंगे। अगर सरकार इसी ढंग से करना चाहती है तो कोई आदमी तो हाई

कोर्ट में चला जायेगा वहां से स्टे ले आयेगा। इस तरह से यह मामला लैन्थी होता जायेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्लाज दो की जो स्पिरिट है वह तो अच्छी है लेकिन मैं उसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार यह चाहती है कि शामलात देह की जमीन उनसे फौरी तौर पर ली जाये। जहां पर हमने किसी ऐक्शन के लिए,. अपील के लिए टाईम मुकरर्र किया है, अविक्शन के लिए टाईम मुकरर्र किया है वहां हमने इसकी पावर असिस्टैन्ट कुलैक्टर को दी हैं। उनके पास तो पहले ही बहुत ज्यादा काम है। वे इसको पूरी तरह से ठीक समय में सरअन्जाम नहीं दे सकेंगे। अभी पिछले दिनों अरबन इम्मूवेबल प्रापर्टी (रैंट रिसट्रेक्शन) ऐक्ट पास किया। उसमें एग्जैक्टिव को पावर दी गयी लेकिन आप सारे हरियाणा में जाकर देख लें कोई ही एस.डी.एम. मिलगा जिसने ऐक्शन लिया हो। सभी केसिज में डेट पर डेट ही मिलती जाती है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जुडिशियण्ल कोर्ट में तेजी से काम होता है लेकिन एग्जैक्टिव में बहुत आहिस से काम होता है। जितनी अधिक पावर एग्जैक्टिव को दी जायेंगी उतनी ही ज्यादा सुस्ती आयेगी लेकिन जहां तक जुडिशियरी का सम्बन्ध है वे अपनी काम को अच्छी तेजी के साथ निभाते हैं – असिस्टैंट कुलैक्टर को तो और बहुत ज्यादा काम हैं। क्लाज 2 के अन्दर जहां असिस्टेन्ट कुलैक्टरा को जो यह सभरी ट्रायल की जुरिसडिक्शन दी है वहां प0र लिखा है 'after making such summary enquiry' वे शामलात देह के बारे में

अपना डिसीजन दे सकते हैं लेकिन मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं वहां पर यह होना चाहिए 'after making such summary enquiry within three months' ऐसा कर देने से इम्पलीमैंटेशन बहुत तेजी के साथ होगी ओर जो असिस्टैन्ट कुलैक्टर को शामलात देह जमीन के झगड़े निपटाने की पावर दी गई है वे बहुत जल्दी से निपटा सकेंगे? दूसरी तरफ मैं यह भी कहूंगा और निश्चित बात है कि शामलात देह की जमीन किसी ऐसे आदमी ने नहीं दबा रखी है जिसके पीछे कोई ताकत नहीं है। ये वे लोग हैं जिनके पीछे पोलिटिकल ताकत है। चाहे 11.00 बजे

वे पोलिटीकल लोग हैं जो खुद जमीन दबाने बैठे हों या उनकी ताकत की बिना पर दूसरों ने दबा रखी हो या जो गांवों में पंचायतें बनी हुई हैं, उन पंचायतों के मैम्बरों के रसूख से या उनके अपने द्वारा वहां पर जमीन दबायी हुई हो। यह जो ऐग्जैक्टिव का आदमी बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी दवाब पड़ सकता है जिसकी वजह से ये केस लम्बे हो सकते हैं। इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से और मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना है कि जब हम सब यह चाहते हैं कि यह शामलात देह (की जमीन) सरकार यानी पंचायत के हाथ आनी चाहिये तब असिस्टैन्ट कुलैक्टर के लिये भी तीन महीने का अर्सा फिक्स किया जाना चाहिए कि वह ऐसे केसिज का डिसीजन तीन महीने के अन्दर–अन्दर दे देगा। इसके साथ ही अगर सरकार चाहे तो यह भी हो सकता है कि इस परपज के लिये स्पैशल असिस्टैंट

कुलैक्टर प्रोवाईड किये जायें जो सिर्फ इन्हीं केसिज को सुनकर के तेजी से साथ डिस्पोज आफ करें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके बाद मैं उस क्लाज पर भी, जिस पर मेरे कुछ भाइयों ने रोशनी डाली है, अपने विचार यहां कहना चाहता हूं। जो क्लाज 2 की सब–क्लाजिज 3 व 4 हैं, वे इस प्रकार है :

"(3) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction passed under sub-section (1) within ten days of the date of such order, the Assistant Collector of the first grade may use such force, including police force, as may be necessary for putting the Panchayat in possession."

"(4) Any person aggrieved by an order of the Assistant Collector of the first grade mya, within a period of thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the Collector in such form and manner, as may be prescribed.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार के अन्दर बड़े लीगल माईन्ड बैठे हुए हैं लेकिन आजतक हमने कभी भी किसी बिल के अन्दर यह नहीं देखा कि अपील की मियाद 30 दिन हो और वकेशन आर्डर को कम्पलाई करने की मियाद 30 दिन से कम हो। अपील की मियाद ज्यादा तो हो सकती है क्योंकि डैमोक्रेसी के अन्दर हरेक आदमी को यह राईट है कि वह अपने राईट के लिये विद–इन सम पीरियड अपील कर सकता है लेकिन ओरिजनल आर्डर की मियाद, अपील की मियाद से कम से कम नहीं हो सकती। 30 दिन के पीरियड तक कोई भी आदमी अपील दायर कर सकता है ओर स्टे आर्डर के लिये भी रिक्वैस्ट कर सकता है। 30

दिन की मियाद में 8–10 दिन तो उसको नकल लेने में लग जाते है और फिर वह 30 दिन तक अपील दायर कर सकता है। अगर वह नकल के लिये दरखास्त दे देता है लेकिन उसको टाईम पर नकल नहीं मिलती तो उसको अगले 30 दिन अपील के लिये मिलते हैं। इस बिल में जो अपील का राईट दिया गया है उसके पीरियड–30 दिन को तो डिस्टर्व करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें वकेशन आर्डर के पीरियड की मियाद ठीक की जानी चाहिये। यह इस बिल में लीगल लकूना है। अगर सरकार इस अमैंडमैंट के जरिये यहीं ठीक कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा वरना अगर किसी आदमी ने इस पर रिट कर दी तो इससे कम्पलीकेशन्ज पैदा होंगी और यह चीज कई साल तक यू ही पड़ी रहेगी। इसके अलावा इस बिल में एक यह वर्डिन्ग यूज की गयी है:

" ..... the Assistant Collector of the first grade may use such force, including police force .....

अब तक ''फोर्स' तो हमने सुनी थी लेकिन ''सच्च फोर्स'' नहीं सुनी थी वह आज सुन रहे हैं। सरकार के पास जो फोर्स होती है वह पुलिस फोर्स ही होती है लेकिन यह कह देना कि "such force including police force" यह बात तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमरे दिमाग में बैठी नहीं। यह सरकार और खासतौर पर हरियाणा सरकार ही कोई इस प्रकार की ''सच्च कोर्स'' नयी पैदा कर रही है, यह बात अपने दिमाग में नहीं बैठी है। मैं यह समझता

हूं कि बिल बनाते समय शायद मिस–अन्डरस्टैडिंग की वजह से ऐसा लिखा गया है। पुलिस फोर्स'' के अलावा और कोई फोर्स नहीं हो सकती। उसके साथ आफिसर जा सकता है, उसका मुलाजिम जा सकता है, ब्लाक के लोग जा सकते हैं, असिस्टैंट कुलैक्टर जा सकता है। ''सच्च आफिशियल्ज और फोर्स'' तो हो सकता है लेकिन ''सच्च फोर्स इन्कल्यूडिंग पुलिस फोर्स'' वाली बात अपनी समझ में तो नहीं आयी। मिनिस्टर साहब जब जवाब दें तो अगर वे इसकी व्याख्या बता सकें तो शायद हमारी समझ में आ जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके साथ ही हमारे कुछ भाई क्लाज 4 भी बोलते रहे हैं। इसमें यह लिखा है:

"For section 13 of the principal Act, the following section shall be substituted. namely :-

13. Bar of jurisdication. No civil court shall have jurisdiction-

(a) to entertain or adjudicate upon any question as to whether any land or other immovable property or any right or interest in such land or other immovable property vests or does not vest ina panchayat under this Act;

(b) in respect of any other matter which any officer is empowered by or under this Act or determine; or

(c) to question the legality of any action taken or any matter decided by any authority empowered to do so under this Act.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो पावर ली गयी है, मैं यह समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। हमारे यहां जो जुडीशियरी है, वह डैमोक्रेसी के अन्दर एक बहुत बड़ा स्तम्भ है और डैमोक्रेसी के अन्दर हमने लोगों को पूरा राईट दिया है जिसकी वे कानून के द्वारा हिफाजत चाहते हैं, वह उन्हें मिलना चाहिये। मेरे एक फाजिल दोस्त, दौलता साहब अभी यह फरमा रहे थे कि कोई भी आदमी आर्टीकल 226 और 227 के अन्दर हाई कोर्ट में जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल दुरूस्त बात कही है लेकिन आज देखने वाली बात यह है कि न्याय कितना मंहगा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिये क्या हरेक आदमी के पास खर्चा है? अगर किसी हरिजन भाई की शामलात देह खोस ली गयी तो क्या वह आर्टीकल्ज 226 व 227 के तहत हार्ठ कोर्ट में जा सकता है? क्या उसके पास इतना खर्चा है कि वह केस लड़ सके। छोटी अदालतों में चाहे वह छोटा–मोटा वकील करके अपने राईट के लिये लड़ सके लेकिन वह हाई–कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के केस नहीं लड़ सकता। सवाल यह नहीं है कि इसकी जुरिस्डिक्शन को बार करने से क्या फर्क पड़ेगा। एक सवाल तो जुडीशियरी की इम्पोर्टैन्स का है और दूसरा यह है कि न्याय दिलाने के लिये हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देनी चाहियें।

इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहिबा, आखिर में क्लाज 5 की सब–क्लाज 5 के बारे में कहना चाहता हूं। पहले भी एक दो मैम्बरों ने इस ओर ध्यान दिलाया है। उसके आखिर में जो वर्डिन्ग है वह ठीक नहीं है। क्लाज 5 की सब–क्लाज 5 यह है:

"(5) Notwithstanding anything herein before contained, any person aggrieved by the order passed under sub-section (3) may, within a period of thirty days from the date of setting aside of the decree or within such further period as the Assistant Collector of the first grade mayh allow on sufficient cause being shown, make an application to the Assistant Collector of the first grade for seeking relief in respect of any land or other immovable property on the groudn of its being excluded from shamilat deh under clause (g) of section 2 or on any of the groudsn mentioned in sub-section (3) of section 4. He may also claim the relief of possession or compensation or both ....."

यहां तक तो ठीक है। आगे यह दिया हुआ है:

" .....The State Government, alongwith the panchayat shall also be impleaded as a party in these proceedings. The Assistant Collector of the first grade may, on such application, pass such order as he deems proper.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दो पार्टियों का झगड़ा है। सरकार बीच में क्यों पार्टी बनकर आ रही है? एक पंचायत है और दूसरा जिसके पास शामलात देह है, दोनों का झगड़ा है और उसके डिसीजन के लिये ऐग्जैक्टिव का आदमी बैठा है। अगर

सरकार पार्टी होगी तो कुदरती तौर पर उस आफिसर को इन्फलुऐंस कर सकेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि जब दो आदमियों में दावा है और सरकार का नियुक्त किया हुआ एक आदमी वहां पर फैसला करने के लिये बैठा है और सरकार का उस झगड़े से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध भी नहीं है, तब उसे दखल नहीं देना चाहिये। जब कोई केस जाना है तो एक तरफ तो पंचायत ने लड़ना है और दूसरी तरफ उस आदमी ने लड़ना है जो जमीन पर बैठा हुआ है या जिसकी शामलात देह ली जा रही है इसलिये बीय में सरकार के आने का कोई मकसद नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि यह प्रोवीजन बिल में लाकर सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि सरकार पार्टी नहीं होनी चाहिये और यह चीज इस बिल से हटनी चाहिये।

जो ऐडीशन सैक्शन 13–ए में की गयी है, चाहे यह क्लाज ऐसे ही नजर आती है, इसके अन्दर कोई किसी प्रकार की बात नहीं लगती लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत ही अहम क्लाज है। इसके अन्दर दो बातें इन्होंनें कही हैं। एक तो इन्होंने डिप्टी स्पीकर साहिबा यह कहा है:

"13-A. Certain decrees to be set aside and fresh trial of cases – (1) where a decree has been obtained from a civil court by any person against any panchayat in respect of any land or other immovable property on the grounds of its being excluded from shamilat deh under clause (g) of section 2

or on any of the gounds mentioned in sub-section (3) of section 4, and the copies of the relevant entries of the revenue records had not been produced in support of the averments made in the plaint, the concerned Block Development and Panchayat Officer, Social Education and Panchayat Officer or any other officer authorised by the State Government or any inhabitant of the village, wherein the land or other immovable property is situate, may, within a period of two years from the date of coming into force of the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Act, 1974, make an application for setting aside the decree to the Assistant Collector of the first grade having jurisdiction in the Village wherein the land or other immovable property is situate.

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा इसके अन्दर दो लकूना हैं। पहला तो यह कि इस ऐक्ट के लागू होने के दो साल के अन्दर डिग्री को सैट असाइड करने के लिए दरखास्त दी जा सकेगी। मैं नहीं समझता कि एक तरफ तो सरकार इस बिल के द्वारा अधिकार ले रही है कि जो नाजायज कब्जे है, जो ऐनक्रोचमैंट शामलात देह जमीन की हुई है उसको ठीक करवाया जाए और दूसरी तरफ दो साल की छूट दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि जिलेवार कमेटी बनाकर और तीन या छह महीने का पीरियड देकर एक बार सारी छानबीन करके इसका एकदम डिसीजन लेना चाहिए और यह जो दो साल की मियाद है इसको छह महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो इसकी अनसरटेन है वह यह है कि इसके अन्दर जो यह कर दिया है कि डिग्रीज जो हैं वह भी रिओपन हो जाएंगी। आखित सह डिग्रियां कितने अर्से तक के लिये ओपन

होंगी? जो डिग्री ले चुके हैं जिनके हक में जुडिशियरी फैसला दे चुकी है, जिनका जुडिशियरी मलकियत की हकदार बना चुकी है, इसकी क्लाज 5 (1) में दिया हुआ है –

"..... and the copies of the relevant entries of the revenue records had not been produced in support of the averments made in the plaint .....

यह तो कोई बात नहीं हुई। आखिर जुडिशियरी के अन्दर केस गया है, वह आदमी अपने राइट को पेश करने के लिए आया होगा, जुडिशियरी के सामने सारे कागजा आए होंगे, सारे आगुमैंट सुने गए होंगे और सुनने के बाद जुडिशियरी ने अपना डिसिजन लिया होगा। आज यह कह रहे है कि जुडिशियरी के डिसिजन को खत्म कर देंगे। यह तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। जो लोग जुडिशियल कोर्ट से डिग्री ले चुके हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वे डिस्टर्ब होंगे तो वे लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां रिटें होगी और अगर एक बार यह स्टे होगा तो इसका मकसद ही फौत हो जाएगा। एक बात में आखिर में कहना चाहता हूं और जैसा कि मेरे फाजिल दोस्तों ने कहा ओर मैं भी उनके साथ सहमत हूं कि इसके अन्दर बहुत लकूनाज हैं। यह मै। मानता हूं कि इसकी स्पिरिट बहुत अच्छी है। उसने एक अच्छा स्टैप उठाने की कोशिश की है लेकिन सरकार से मेरी दरखास्त है कि एक बार इसकी ठीक ढंग से छानबीन कर ली जाए और बेहतर होगा कि इसको सिलैक्ट कमेटभ के सुपुर्द कर

दिया जाए ताकि वह एक बार सारे को देखकर सदन के सामने रख सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Deputy Speaker: Sh. Gulati. But, please do not repeat what has already been said.

श्री के.एस.गुलाटी (फरीदाबाद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल हमारे सामने है, मैं दो–चार मिनट में अपने ख्यालात इसके बारे में रखूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा हम एम.एल.ए. लोग पब्लिक के लीडिंग लोग है ओर कुछ जिम्मेदार लोग हैं। हम अफसरान से और मिनिस्टर साहिबान से मिलते रहते है। और उनको बताते रहते हैं कि फलां जगह तकलीफ है, यह ठीक नहीं है, यहां ऐनक्रोचमैंट है। हमारी बातें सुनकर, पब्लिक के लीडिंग लोगों की बातें सुनकर मंत्रीगण और आफिसर्ज सही ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं और फिर अच्छे अमैंडमैंट और ऐक्ट हमारे सामने लाते हैं और इस प्रकार जब अच्छी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं तो खामखाह उनकी क्रिटीसाइज करते हैं। सरकार कोई भी अच्छी प्रोपोजल लाती है तो उसके अन्दर अच्छी भावना होती है (व्यवधान)। मेरे इन भाइयों ने यह तरीका बना रखा है कि खामखाह के लिए सरकार को क्रिटीसाइज किया जाए चाहे वह चीज जनता के लिए कितने ही फायदे की हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक मिनट के लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। 8 तारीख को मेरा एक ऐक्सीडैंट हुआ और वह सीरियस था लेकिन ईश्वर ने बचा लिया। मैं यहां सैशन अटेन्ड करने के लिए आया तो

कई अपोजीशन पार्टी के साथी मुझे कल मिले। कहने लगे कि अच्छा हुआ ईश्वर ने बचा लिया लेकिन अब तुम वोट सही तरीके से देना। मैंने कहा कि भगवान ने इस एक्सीडैंट से बचा लिया, सेवा का और मौका मिला है, वह करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों को सही बात की दाद भी देनी चाहिए। जहां कोई अच्छा बिल आ जाए इन्हें उसको सही भी कहना चाहिए। इसके अन्दर जो तीस दिन की अपील की बात आई है यह बिल्कुल ठीक है। (**इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य राव निहाल सिंह विराजमान हुए**) और यह जो सुजैशन आई है कि एक कमेटी बना दी जाए जो इसकी जांच करे, मैं समझता हूं कि हर बात में कमेटी बनना, कोई अच्छा नहीं लगता। चेयरमैंन साहब, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इस बात की ताईद करता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है। मैं आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल को इत्तफाक राए से विदआउट ऐनी हैजीटेशन पास कर दिया जाए।

श्री गौरी शंकर (नरवाला): चेयरमैंन साहब, यह जो बिल सदन के सामने आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरे कुछ साथी एम.एल.एज. ने कहा कि सरकार को इसमें पार्टी न बनाया जाए। मेरा कहना यह है कि सरकार को इसमें जरूर पार्टी बनाया जाये क्योंकि इसमें डर है कि कोई पंचायत किसी आदमी से मिलकर उस केस में कोई गलत बात न कह दे और उसके हक में अपने ब्यान देकर गलत फैसला न करा ले। इसलिए जरूरी है कि

यह जो कामन लैंड है उसकी हिफाजत के लिए सरकार अवश्य पार्टी बने।

दूसरी बात यह कही गई कि यह जो इस दिन की मियाद है यह थोड़ी है, यह तीस दिन की होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब किसी के खिलाफ कोई चीज होती है तो इस दिन को भी मियाद नहीं होनी चाहिए। यह तो उसकी वक्त लागू होनी चाहिए। अगर अपील का फैसला उसक हक में हो जाएगा तो ऐसी हालत में उस आदमी को कब्जा फिर मिल जाएगा। मेरा कहना है कि जो दस दिन की मियाद है वह भी खतम होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पाना शामलात और पट्टी शामलात की जो जमीन है वह पंचायत की जमीन होनी चाहिए। इस ऐक्ट में प्रोविजन होना चाहिए कि पाना शामलात और पट्टी शामलात की जमीन पंचायत की होगी।

अपील करने की दो साल की जो बात कही गई है, मैं समझता हूं कि वह दो साल नही होनी चाहिए। इसकी तीन या छह महीने की मियाद रखनी चाहिए। दो साल बहुत ज्यादा है। तीन महीने या छह महीने से ज्यादा टाईम नहीं रखना चाहिए। इसके अन्दर डिग्रीयों की बात आई है। लोगों ने सरपंचों तथा दूसरे सरपंचों से मिल मिलाकर गलत फैसले कराए हुए हैं इसलिए इस तरह की जो डिग्रियां हैं उनका भी फैसला होना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह इस दो साल की मियाद को कम कर देगी।

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): चेयरमैन साहब, हरियाणा के अन्दर करीब 8.6 लाख एकड़ शामलात जमीन है जिसमें करीब–करीब 40 हजार एकड़ शामलात लैंड पर नाजायज कब्जा हो चुका है और करीब–करीब साढ़े बीर हजार एकड़ जमीन कौलेसिव डिग्रीज में जुड़ गई है और कुछ केसिज में वह कौलेसिव डिग्रीज हो गई है। यह एक बड़ी अहम समस्या हो गई है, इस तरह पंचायतों की शामलात लैंड जो कि पंचायत की आमदनी का एक जरिया है, जिससे कि गांव का विकास किया जा रहा है या किया जाना है, वह आमदनी का जरिया जाता रहा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सरकार अपने इस कानून में तरमीम करे ताकि यह कौलेसिव डिग्रीज खासतौर पर रोकी जा सकें और जो नाजायज कब्जे हो गए हैं उनको दुरूस्त किया जाए। वैसे तो मेरे अपोजीशन के ज्यादातर साथियों ने इस बिल की ताईद की है और जो मुखालफित की है वह सिर्फ मुखालफित करने के लिए है। चौ. राम लाल पढ़कर सुना रहे थे कि पिछले और इस एक्ट में कोई फर्क नहीं है। वह एक सैक्शन पर ऐतराज कर रहे थे। अगर वही दोहराया गया है फिर तो उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मामलों को सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन से पहले भी बार कर दिया गया था लेकिन उस बार के बावजूद भी लोग जा रहे थे देसरे तरीके से। वह दूसरे तरीके अख्तियार कर रहे थे। असिस्टैन्ट कुलैक्टर के जुर्माना के खिलाफ जाते थे और स्टे आर्डर ले आते थे। बगैर रिकार्ड दिखाये, मिल मिला कर सिविल कोर्ट के द्वारा जमीन अपने नाम करवा लेना,

जिसको हम कोलेसिव डिग्री कहते हैं। बिना रिकार्ड दिखाये जिन लोगों ने अपने नाम डिक्रियां करवा ली है। कि यह जमीन पंचायत की नहीं है बल्कि उनकी है, उन लोगों के लिये बिल में दुरूस्ती करने के लिये यह धारा लाई गई है। चेयरमैन साहब, सैक्शन 7 के सब–सैक्शन (2) के बासरे में कोई खास तरमीम नहीं है। केवल उसको दुरूस्त किया गया है कि जुर्माने की रकम जो थी वह पहले एक हजार रूपये तक थी और अस्सिटैंट कुलैक्टर इससे कम जुर्माना नहीं करता था, जिसके कारण यह क्लाज इफेक्टिव थी। लेकिन अब हमने यह कर दिया है कि इसके स्थान पर कम से कम 600 रूपये और ज्यादा से ज्यादा 2500 रूपये तक पर हैक्टेयर पर एनम जुर्माना किया जा सकता है और यह इस लिये किया गया है कि कोई आदमी किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा न कर सके और इस जुर्माने से जो रकम वसूल की जाएगी वह किसी और काम के लिये इस्तेमाल नहीं की जाएगी बल्कि वह पंचायतों को ही सौंप दी जाएगी।

चेयरमैन साहब, सैक्शन 10–ए में एक लफ्ज 'लीज' का है। अब उसके स्थान पर 'सेल' या 'लीज' लफ्ज रख रहे हैं। पहले बैड सेल्ज बेची जाती थीं। होता क्या था कि थोड़ी सी रकम में जमीन को बेच दिया जाता था इसलिये इस बैड–सेलज को इस धारा के अन्तर्गत दुरूस्त किया गया है। इसमें दिया गया है कि अगर कोई ऐसा केस होगा तो असिस्टैंट कुलैक्टर उस डीड को कैन्सल कर सकता है ताकि आगे के लिए कोई बैड सेलज न करें।

चेयरमैंन साहब, धारा 13 में जैसे अभी मैंने बताया कि सिविल कोर्ट की जूरिसडिक्शन है और उसके होते हुए भी लोग कौलेसिव डिग्री ले लेते हैं इसलिये जरूरत महसूस हुई इस सैक्शन को अमैंड करने की। इसलिये इसमें धारा 13ए और 13 बी ऐड किया है। क्लाज 13 मकें वह डिग्री ही सैट–असाइड होगी जिनमें यह पाया गया हो कि रिकार्ड मंगवाये बगैर सिविल कोट्र ने डिग्री दे दी है। जिन डिग्रियों को बगैर रिकार्ड मंगवा कर फैसला किया गया होगा उनको नाजायज करार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ऐसे केसिज पर जहां सरपचों से मिलकर नाजायज कब्जा ले लिया और डिक्रियां करवा ली केवल उन्हीं के अन्दर ही असिस्टैंट कुलैक्टर क्लास वन दोबारा रिकार्ड मंगवा कर देख सकता है, या बी.डी.ओ. या कोई दूसरा अधिकारी जोकि उन केसिज से सम्बन्धित होगा, के द्वारा नये सिरे से उस मामले पर विचार किया जा सकता है। इसमें केवल इस बात की ही तरमीम की गई हैं। जहां तक अपील का ताल्लुक है उसके लिये हमने दो साल तक का समय रख लिया है कि वह दो साल के भीतर सहायक कुलैक्टर के यहां अपील कर सकता है। चेयरमैन साहब, पहले यह जो केस थे ये सिविल कोर्ट में जाते थे, अब हमने यह कर दिया है कि उसकी बजाये असिस्टैंट क्लैक्टर की कोर्ट में ट्रान्सफर कर दिये हैं और अब असिस्टैंट कुलैक्टर ही इन केसिल में सब कुछ कर सकेंगे। इसके इलावा कोई खासत चेन्जिज नहीं किये गये हैं। जैसा कि अपोजीशन के मैम्बरों ने भी कहा है कि बिल बहुत अच्छा है, इसककी सराहना की है (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन

हुए) स्पीकर साहब, एक मैम्बर ने एक बात के ऊपर कहा धारा 7(3) के अन्दर जो आपने 10 दिन की अवधि रखी है यह बहुत थोड़ी है इसके स्थान पर 30 दिन की अवधि होनी चाहिये। तो इसके लिये मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बहुत से भाइयों ने यह सवाल उठाया कि इसके लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जोकि स्टडी करके शामलात लैंड के मुताल्लिक सारी बातें सरकार को रिकमैन्ड करे। सो सरकार ने इसके लिये एक कमेटी बनाई है जोकि तीन महीने के अन्दर अन्दर शामलात लैंड के मैनेजमैंट के मुताल्लिक और दूसरी बातों के मुताल्लिक सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी के जो मैम्बर साहेबान हैं, इस प्रकार हैं :–

1. श्री निहाल सिंह,

2. चौ. दल सिंह,

3. राव दिलीप सिंह,

4. चौ. शिव राम वर्मा,

5. चौ. मनफूल सिंह,

6. चौ. फूल चन्द,

7. चौ. ईश्वर सिंह,

8. श्री अमर सिंह,

9. सरदार प्यारा सिंह,

10. श्री ओम प्रकाश गर्ग।

स्पीकर साहब, अपोजीशन के भाई, जो भी वे चाहते हैं उसके ऊपर सरकार पूरे ध्यान से विचार करेगी। इतना ही कह कर मैं इस सदन की मार्फत आपसे यह दरखास्त करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Village Common Lands (regulatio) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The house will now take up the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Col. Maha Singh: Sir, I beg to move –

That in clause 2, in the proposed Section 7(3), for the words "ten days" substitute "thirty days".

श्री अध्यक्ष: आप कौन सी क्लाज में अमैंडमैंट के बारे में कह रहे हैं? क्लाज 2 तो पहले पास हो चुकी थी।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब, यह टैन डेज इसमें है

On page 2 clause (3), which reads –

"(3) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction passed undr sub-section (1), within ten days of the date of such order, the Assistant Collector or the first grade may use such force, including police force, as may be necessary for putting the panchayat in posession .....

Mr. Speaker: No. This is sub-section (3) of section 7.

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, इसको रि–कंसिडर करके 30 डेज कर दें। हाउस को अख्तियार है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब तो यह अमैंडिग बिल के जरिये आएगा।

चौ. बंसी लाल: आपकी इच्छा है जी।

Clause -3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -4

Mr. Speaker: Question is –

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -5

Mr. Speaker: Question is –

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Col. Maha Singh: Sir, I beg to move –

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned* sine die.

*11.34 बजे

(The Sabha then adjourned sine die.)